

लोकतंत्र का स्तंभ.....



लोकस्तंभ

त्रैमासिक पत्रिका



19th Asian Games
Hangzhou 2022



Medals



HARBIL/2012/48114

@theLokStambh



@thelokstambh



@thelokstambh



@TLSNews01



लोकस्तंभ

प्रेरणा-

स्वर्गीय कमला सिंह

संरक्षक-

डॉ. माधुरी सिंह

मीडिया सलाहकार-

उमानाथ सिंह

तकनीकी सलाहकार-

डॉ सुमित सरोहा

न्यायिक सलाहकार-

एडवोकेट प्रशांत किशोर

प्रधान संपादक-

राणा वंशमणि

सह संपादक-

रवि रंजन कुमार

कार्यकारी संपादक

गौरव त्रिखा,

केशव शर्मा,

सत्यम पांडे,

उप संपादक

हर्ष कुमार

लक्ष्य बबेजा



6

4 One Nation One Election

10 भारत में G20 का महत्व।

13 भारत और कनाडा के रिश्ते

21 I.N.D.I.A महागठबंधन

29 Asian Games 2022

47 Israel Hamas War



14. तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समस्या



16. हिन्दी भारत की बिंदी



18. पर्यावरण संरक्षण



24. हरियाणा विधानसभा चुनाव



37. Patent law

समानता और पहचान: बिहार में हुई जाति गणना के निष्कर्ष!




बिहार

हार में जातियों का एक सर्वेक्षण करने और आबादी की जातिवार गणना को प्रकाशित करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस सर्वेक्षण में जनगणना की सारी खासियतें थीं और इसे घरों की सूची बनाने एवं उसके बाद उन घरों से जानकारी हासिल करने की दो-चरणों की प्रक्रिया के साथ पूरा किया गया। इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी के 63 फीसदी हिस्से का ताल्लुक अति पिछड़ा वर्ग (इंबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की श्रेणियों के अंतर्गत सूचीबद्ध की गई जातियों से है। लोगों के सामाजिक-आर्थिक विवरण भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन वे अभी तक सामने नहीं आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, यह कवायद देशव्यापी जाति जनगणना की राजनीतिक मांग को बढ़ावा दे सकता है और शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में कुल आरक्षण की 50 फीसदी की कानूनी सीमा पर पुनर्विचार करने की दिशा में न्यायिक चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। दलीय राजनीति के संदर्भ में, यह हिंदुओं के सभी वर्गों को एक विशाल समर्थक आधार के रूप में एकजुट करने की कोशिश करने वाली भाजपा और ओबीसी के विभिन्न वर्गों पर भरोसा करने वाली अन्य पार्टियों के बीच पारंपरिक संघर्ष का एक नया अध्यय शुरू कर सकता है। एक ऐसे वक्त में जब हिंदूत्व को ओबीसी दावे पर भरोसा रखने वाली पार्टियों पर भारी पड़ते देखा जा रहा है, प्रभावशाली सामाजिक समूहों को अब राजनीतिक वर्ग द्वारा अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आकार का लाभ लेने का मौका मिल सकता है। कानूनी मोर्चे पर, इन संख्याओं का इस्तेमाल उस किस्म के 'मात्रात्मक डेटा' को पेश करने के लिए किया जा सकता है जिसे न्यायपालिका विभिन्न राज्यों में आरक्षण के स्तर को उचित ठहराने के लिए मांगती रही है।

बिहार की कवायद इस बात की एक मिसाल कायम करती है कि जाति गणना कैसे की जानी चाहिए। इस पद्धति में राज्य की जातियों की सूची में दर्ज 214 जातियों में से प्रत्येक को एक कोड देना शामिल था। विभिन्न उप-जातियों एवं संप्रदायों की पहले पहचान की गई और फिर उन्हें एक व्यापक जाति नाम के तहत शामिल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि गणनाकार प्रतिभागी द्वारा बताई गई किसी भी जाति के नाम के लिए एक कोड निर्धारित कर सकते थे। केंद्र सरकार द्वारा 2011 की 'सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना' के जाति-संबंधी विवरण को जारी नहीं करने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस कवायद से हासिल डेटा बहुत भ्रमित करने वाला और बोझिल था। लोगों द्वारा लगभग 46 लाख जातियों के नाम बताए गए। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि जब लोगों से उनकी जातियों के नाम पूछे गए तो उन्होंने

बिहार जातीय जनगणना



■ सर्वांग: ■ पिछड़ा वर्ग ■ अति पिछड़ा वर्ग ■ SC ■ ST

अपनी जातियों, उप-जातियों, संप्रदायों, गोत्र और उपनाम का जिक्र किया। यों तो विभिन्न जातियों की सटीक संख्या जानने के कार्यात्मक और व्यावहारिक फायदे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान का व्यापक लक्ष्य जातिविहीन समाज का निर्माण है। सकारात्मक कार्रवाई बेशक समाज में फैली असमानताओं को दूर करने में मदद करती है। लेकिन राज्य को जातिगत पहचान पर ज़ोर दिए बिना अवसर की समानता और संसाधनों के समान वितरण सुनिश्चित करने के तरीकों की भी तलाश करनी चाहिए।

“संसाधनों का समान वितरण जातिगत पहचान को बढ़ावा देकर नहीं किया जाना चाहिए।”

Ranajit Singh
राणा वंशमणि
(प्रधान संपादक)



NE NATION NE ELECTION

केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर^{बनाई समिति।}

डॉ. वीणा गुप्ता
सहायक प्राध्यापक

कें

द्र सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election) क्या है? दरअसल, 'एक देश एक चुनाव' एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा (भारतीय संसद के निचले सदन) और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर पांच साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं।



क्या फायदा होगा?

एक राष्ट्र, एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। रिपोर्टों के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि और चुनाव आयोग ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा चुनाव कराने में खर्च की गई राशि शामिल है। वर्ही, 1951-1952 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस संबंध में लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो 4,500 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। ये खर्च ईवीएम की खरीद पर होगा लेकिन 2024 में साथ चुनाव कराने पर 1,751 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। इस तरह धीरे-धीरे ये अतिरिक्त खर्च भी कम होता जाएगा। इसके अलावा, एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग-अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे

केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में, जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुरू पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक देश, एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी।

क्या हैं चुनौतियां?

एक साथ चुनाव कराने के कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ-साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दलों का प्रमुख डर यह है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में हैं। इसके साथ ही वे चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी असमर्थ होंगे। साल 2015 में आईटीएफसी संस्थान की तरफ से की गई स्टडी में पाया गया कि यदि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ

होते हैं तो 77 प्रतिशत संभावना है कि मतदाता एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि, अगर चुनाव छह महीने के अंतराल पर होते हैं, तो केवल 61 प्रतिशत मतदाता एक ही पार्टी को चुनेंगे। देश के संघवाद के लिए एक साथ चुनावों से उत्पन्न चुनौतियों की भी आशंका है।

संविधान में करना होगा संशोधन:

1999 में विधि आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसका समर्थन किया था। अगस्त 2018 में एक देश-एक चुनाव पर लॉ कमिशन की रिपोर्ट भी आई थी। लॉ कमिशन की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में दो फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। विधि आयोग ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कम से कम पांच संवैधानिक सिफारिशों की आवश्यकता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया था कि देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद- 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन का जिक्र किया गया था।

पहले भी एक साथ हुए हैं चुनाव

1967 तक भारत में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव होना आम बात थी। आजादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ हो चुके हैं। वर्ष 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग-अलग समय पर भंग होती रहीं, जिस कारण यह क्रम टूट गया। कुछ विधानसभाओं को 1968 और 1969 में और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया। एक दशक बाद, 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला किया था। 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया था। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जोर दिया। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वह राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने का एक तरीका विकसित करने का प्रयास करेगी।



चुनाव आयोग कितना तैयार?

2022 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस विचार को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की ज़रूरत है और यह संसद में तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 2022 में, विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, भारत के चुनाव आयोग, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और एक्सपर्ट्स सहित हितधारकों की राय मांगी थी।

वन नेशन, वन इलेक्शन कमिटी का क्या मतलब है?

कमिटी का मकसद यह है कि वह दलों, नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशविरा करेगी। उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएंगी।

नोटिफिकेशन क्यों अहम हैं?

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कमिटी के गठन के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्ष में गठित कमिटी के इस नोटिफिकेशन में वन नेशन, वन इलेक्शन की शर्तें और मियाद का जिक्र होगा।



चंद्रयान-3

चांद कि ओर भारत कि अगली छलांग



VIKRAM SEPARATES
FROM THE ORBITER

रिचा पाहुजा सहायक प्राध्यापक

ISRO भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है।



इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ACL) अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और ISRO द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, तथा इसके प्रचार एवं वाणिज्यिक दोहन हेतु ISRO की एक विषयन शाखा है। श्री एस. सोमनाथ ISRO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वर्ष 1960 के दशक के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई द्वारा भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत की गई थी। स्थापना के बाद से, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीन अलग-अलग प्रकार थे जैसे संचार और सुदूर संवेदन के लिये उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की शुरुआत डॉ. साराभाई और डॉ. रामनाथन के नेतृत्व में हुई थी। वर्ष 1975-76 के दौरान, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपरिमेंट (SITE) आयोजित किया गया था।

इसे 'विश्व का सबसे बृहद् समाजशास्त्रीय परीक्षण' कहा गया। इसके बाद 'खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट (KCP)' शुरू हुआ, जिसने गुजरात राज्य में आवश्यकता-आधारित और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिये एक फील्ड प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान, पहला भारतीय अंतरिक्ष यान 'आर्यभट्ट' विकसित किया गया था और एक सौवियत लॉन्चर का उपयोग करके प्रमोचित किया गया था। लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) हेतु 40 किलोग्राम की भार क्षमता रखने वाले पहले प्रमोचक यान SLV-3 का विकास हुआ और इसका सफल प्रमोचन वर्ष 1980 में किया गया जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ। 80 के दशक के दौरान प्रायोगिक चरण में, भास्कर- I और II मिशन सुदूर संवेदन क्षेत्र में अग्रणी कदम थे, जबकि 'एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपरिमेंट (APPLE)' भविष्य की संचार उपग्रह प्रणाली के लिये अग्रदूत बन गया।

90 के दशक में परिचालन चरण के दौरान, प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढाँचा दो व्यापक वर्गों के तहत बनाया गया था: एक बहुउद्देशीय भारतीय राष्ट्रीय



उपग्रह प्रणाली (INSAT) के माध्यम से संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिये और दूसरा भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (IRS) प्रणाली के लिये। इस चरण के दौरान धूर्वीय उपग्रह प्रमोचक प्रणाली (PSLV) का विकास और संचालन तथा भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (GSLV) के विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं।

ISRO की उपलब्धियाँ

संचार उपग्रह

INSAT-1B की शुरुआत के साथ वर्ष 1983 में स्थापित, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (INSAT) प्रणाली एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे विशाल घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है, जिसमें तुल्यकाली कक्षा में नौ परिचालन संचार उपग्रह स्थापित किये गए हैं। इसने भारत के संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की और बाद में भी इस क्रांति को बनाए रखा। INSAT प्रणाली दूरसंचार, टेलीविज़न प्रसारण, उपग्रह समाचार संग्रह, सामाजिक अनुप्रयोगों, मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी और खोज एवं बचाव कार्यों के लिये सेवाएँ प्रदान करती है। नौवहन उपग्रह वाणिज्यिक और सामरिक अनुप्रयोगों के साथ एक उभरती हुई उपग्रह आधारित प्रणाली है। नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने और स्वतंत्र उपग्रह नौवहन प्रणाली के आधार पर स्थिति, नौवहन और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नौवहन सेवाएँ आवश्यक हैं।




नागरिक उड़ायन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, ISRO GPS एडेंजियो ऑगमेटेड नेविगेशन (GAGAN) सिस्टम की स्थापना हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है। स्वदेशी प्रणाली पर आधारित स्थापन, नौवहन और समय संबंधी सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, ISRO भारतीय क्षेत्रीय नौवहनउपग्रह प्रणाली (IRNSS) नामक एक क्षेत्रीय उपग्रह नौवहनप्रणाली स्थापित कर रहा है।

चंद्रयान-1, भारत का चंद्रमा के लिये पहला मिशन, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और स्वीडन में निर्मित 11 वैज्ञानिक नीतभार (पेलोड) के साथ एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इंपैक्टर शामिल था। इसे 22 अक्टूबर, 2008 को ISRO द्वारा PSLV-C11 के माध्यम से प्रमोचित किया गया था, जिसे चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊँचाई पर चंद्रमा की कक्षा का अध्ययन करने के लिये विकसित किया गया था। हालाँकि, इसे दो वर्षों के अभिप्रेत संचालन से कम समय के लिये संचालित किया गया लेकिन इसने अपने नियोजित उद्देश्यों का 90% से अधिक प्राप्त किया।

चंद्रयान-2, चंद्रमा के लिये भारत का दूसरा मिशन एक पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। चंद्रयान-2 को GSLV-F10 द्वारा वर्ष 2019 में प्रमोचितकरने की योजना थी। चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर पहुँचने के बाद, लैंडर का भाग रोवर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। एक नियंत्रित अवरोहण के बाद, लैंडर एक निर्दिष्ट स्थान पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर को तैनात करेगा। पेलोड चंद्रमा की स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्त्विक बहुतायत, चंद्र बाह्यमंडल, हाइड्रॉक्सिल और जल-हिम की उपस्थिति पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करेगा।

चंद्रयान-3, भारत का चौथा चंद्रमा मिशन है जो चंद्रयान-2 के प्रयोजन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर वैज्ञानिक और वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, जिसमें चंद्रमा की सतह के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान-3 का डिज़ाइन चंद्रयान-2 के सफल उड़ान के आधार पर किया गया है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सफलतापूर्वक लैंड कराने का प्रयास किया जाएगा। इस मिशन में एक रोवर भी शामिल होगा, जो चंद्रमा की सतह पर गए जाकर वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा। चंद्रयान-3 मिशन भारत की अंतरिक्ष और वैज्ञानिक क्षमता को और अधिक मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह दुनिया को चंद्रमा के सतह पर होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान




आदित्या L1 (एल1)

करेगा। इस मिशन की सफलता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।

आदित्या L1 (एल1) एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा शुरू किया गया है। यह एक अंतरिक्ष उपग्रह है जो सूर्य के पास जाने का प्रयास कर रहा है और सूर्यमंडल का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आदित्या L1 का प्रमुख उद्देश्य सूर्य के कोर के नजदीक जाकर सूर्य की बुढ़ाई जलवायु और अंतरिक्ष की धारा के अध्ययन करना है। यह वैज्ञानिकों को सूर्य की कई प्रकार की अद्वितीय गुणों को समझने का मौका देगा, जैसे कि सूर्य के मैग्मेटिक फ़िल्ड, सूर्यमंडल के तरंगों का अध्ययन, और सूर्य के कोर में क्या घटित हो रहा है। यह मिशन अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा और हमें सूर्यमंडल के रहस्यमय दुनिया के बारे में नए ज्ञान का प्राप्त करने में मदद करेगा। आदित्या L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।"

परीक्षणात्मक उपग्रह

ISRO ने मुख्य रूप से प्रायोगिक उद्देश्यों के लिये अनेक छोटे उपग्रह प्रमोचित किये हैं। इस प्रयोग में सुदूर संवेदन, वायुमंडलीय अध्ययन, पेलोड डेवलपमेंट, ऑर्बिट कंट्रोल, रिकवरी टेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं। लघु उपग्रह परियोजना का दृष्ट प्रतिवर्तन/प्रत्यावर्तन समय में भू-प्रेक्षण एवं वैज्ञानिक मिशनों हेतु एकमात्र नीतभारों के लिये एक मंच प्रदान कर रही है। विभिन्न प्रकार के नीतभार के लिये बहुमुखी मंच बनाने हेतु, दो प्रकार की बसों को संरूपित एवं विकसित किया गया है अर्थात् इंडियन मिनी सैटेलाइट -1 (IMS-1) और इंडियन मिनी सैटेलाइट -2 (IMS-2)। शैक्षणिक संस्थान उपग्रह ISRO ने संचार, सुदूर संवेदन और खगोल विज्ञान के लिये उपग्रह विकसित करने जैसी अपनी गतिविधियों से शिक्षण संस्थानों को प्रभावित किया है। चंद्रयान-1 के प्रमोचन ने परीक्षणात्मक छात्र उपग्रह बनाने की दिशा में विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रुचि बढ़ाई है। ISRO के मार्गदर्शन और समर्थन के द्वारा सक्षम विश्वविद्यालय एवं संस्थान नीतभार के डिज़ाइन और विकास तथा उपग्रह के निर्माण



के माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अंतरिक्ष के लिये भारत का मानवयुक्त मिशन गगनयान ISRO का एक मिशन है जिसे वर्ष 2023 में प्रमोचित किया जाना है। इस मिशन के तहत: इसमें तीन उड़ानें कक्षा में भेजी जाएंगी। इसमें दो मानव रहित उड़ानें और एक मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। ऑर्बिटल मॉड्यूल कहे जाने वाले गगनयान सिस्टम मॉड्यूल में एक महिला सहित तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। यह 5-7 दिनों के लिये पृथ्वी से 300-400 किलोमीटर की ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ISRO गगनयान मिशन के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2022 में दो मानव रहित 'एबोर्ट मिशन' भी संचालित करेगा। स्क्रैमजेट (सुपरसोनिक दहन रैमजेट) इंजन अगस्त 2016 में, ISRO ने स्क्रैमजेट (सुपरसोनिक दहन रैमजेट) इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। स्क्रैमजेट इंजन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में और वायुमंडलीय से ऑक्सीजन को ऑक्सीसीकारक के रूप में उपयोग करता है। यह परीक्षण मैक 6 की गति पर हाइपरसोनिक उड़ान के साथ ISRO के स्क्रैमजेट इंजन का पहला लघु अवधि का प्रायोगिक परीक्षण था। ISRO का उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन (ATV) सुपरसोनिक परिस्थितियों में स्क्रैमजेट इंजनों के परीक्षण के लिये उपयोग किया जाने वाला सॉलिड रैकेट बूस्टर था जो एक उन्नत परिज्ञापी रैकेट भी है। नई प्रणोदन प्रणाली ISRO के पुनः प्रयोज्य प्रमोचन यान का पूरक होगी जिसकी उड़ान अवधि लंबी व अधिक होगी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र (IN-SPACE):

भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिये निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु IN-SPACE लॉन्च किया गया था। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने या भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बीच एकल-बिंदु इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):

यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वर्ष 2019 में स्थापित भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी के साथ ISRO की वाणिज्यिक शाखा है। इसका मुख्यालय बैंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISPA):

ISPA को भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को एकीकृत करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। ISPA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष तथा उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएँ हैं। अमेज़ोनिया-1: PSLV-C51 की 53वीं उड़ान ISRO की वाणिज्यिक शाखा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के लिये पहला समर्पित मिशन है। अमेज़ोनिया-1, नेशनल इंस्टीटूट फॉर स्पेस रिसर्च (INPE) का प्रकाशिक पृथ्वी अवलोकन



CHANDRAJAN #

प्रमोचन रॉकेट) ISRO द्वारा विकसित उपग्रह-प्रमोचन यान हैं। PSLV ध्रुवीय कक्षा में "पृथ्वी-अवलोकन" या "सुदूर संवेदन" उपग्रहों को प्रमोचित करता है। यह एक चार चरणों वाला प्रमोचन यान है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। थ्रस्ट बढ़ाने के लिये PSLV के साथ स्ट्रैप-ऑन मोटर्स का भी इस्तेमाल किया गया। PSLV को इसके विभिन्न संस्करणों जैसे कोर-एलोन संस्करण (PSLV-CA) या PSLV-XL वेरिएट में वर्गीकृत किया गया है। GSLV संचार-उपग्रहों को लगभग 36000 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित भूतूल्यकाली स्थानांतरण कक्षा (GTO) तक पहुँचाता है। GSLV के दो संस्करण ISRO द्वारा विकसित किये गए हैं और तीसरे संस्करण का परीक्षण चरण चल रहा है। पहले संस्करण, GSLV Mk-II में GTO के लिये 2,500 किलोग्राम तक के भार के उपग्रहों को प्रमोचित करने की क्षमता है। भारत का मानना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र और साइबर क्षमताओं के एकीकरण पर निर्भरता भविष्य के संघर्षों में ही बढ़ेगी। लेकिन अब समुद्री क्षेत्र से परे, भारत कई अन्य उपग्रह-आधारित संचार और डेटा सेवाओं के लिये विदेशी साझेदारों पर निर्भर रहा है। उदाहरण के लिये, यह अंतरिक्ष संचार के लिये NASA पर निर्भर है। निजीकरण भी भारत को अपनी प्रमोचन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे सकता है, जो वर्तमान में प्रति वर्ष चार से पाँच है जबकि चीन औसतन बीस या इतने ही प्रमोचन करता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को निर्देशित करने हेतु भारत के पास कोई स्पष्ट अंतरिक्ष नीति नहीं है। ISRO की उपग्रह प्रमोचित करने की क्षमता पर अंतरिक्ष बाधाएँ भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जून 2018 में "अंतरिक्ष बल" या अमेरिकी सशस्त्र बलों की छठी शाखा के निर्माण की घोषणा ने भारत सहित कई देशों को चिंतित किया है। जबकि भारत आधिकारिक रूप से PAROS, या अंतरिक्ष क्षेत्र में हथियारों की प्रतिस्पर्द्ध को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है, फिर भी इस तरह की योजनाओं के लिये एक विश्वसनीय आधिकारिक प्रतिक्रिया तैयार करना अभी बाकी है। भारत को अभी तक अपनी स्वयं की एक विश्वसनीय अंतरिक्ष कमान स्थापित करनी है। इस संदर्भ में चीन की प्रतिक्रिया उसकी प्रतीत होने वाली मौन आधिकारिक प्रतिक्रिया से कहीं अधिक सुदृढ़ हो सकती है और उसके पास एक दुर्ज्य अंतरिक्ष सैन्य कार्यक्रम है जो वर्तमान में भारतीय क्षमताओं से कहीं अधिक है। एलोन मस्क और रिचर्ड ब्रैनसन जैसे विश्व स्तर के उद्यमियों ने अंतरिक्ष गतिविधियों को स्वतंत्र लाभदायक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया जिसे नई अंतरिक्ष क्रांति कहा जा सकता है। अब अधिक संरचित दृष्टिकोण का समय आ गया है जो भारत में युवा प्रतिभाओं के बेहतर उद्घवन को सक्षम बनाता है। सौभाग्य से, एंट्रिक्स ऐसे विचारों के लिये खुला है। विभिन्न नीतियों और अधिनियमों को बदलने या प्रतिबंधात्मक बनाने के बजाय सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

जी 20: भारत और दुनिया को नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से क्या मिला?

गौरव त्रिखा
कार्यकारी संपादक





प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्राजील के औपचारिक रूप से जी-20 देशों की अध्यक्षता लेने से पहले भारत के पास ढाई महीने का समय है और इसमें इन सुझावों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन प्यूचर' के रोडमैप के सुखद होने की कामना के साथ सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देशों को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक भी कहा, जिसका संबंध दुनिया में शांति और खुशी की कामना से है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन समेत दुनिया भर से जुटे कई नेताओं ने भारत की अध्यक्षता की सराहना की। सम्मेलन में कुल तीन सत्र हुए। दो सत्र (वन अर्थ और वन फैमिली) शनिवार को और एक सत्र (वन प्यूचर) का आयोजन रविवार को हुआ। सम्मेलन में जी-20 लीडर्स डिक्लरेशन (घोषणा पत्र) पर पहले ही दिन (शनिवार) को सहमति बन गई और पीएम मोदी ने इसके 'एडॉप्ट' होने का एलान किया। ये सम्मेलन अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिए जाने के लिए भी याद किया जाएगा।

सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अदीन आन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया।

'वन प्यूचर' सेशन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का सवाल

जी20 शिखर सम्मेलन के 'वन प्यूचर' सत्र में मोदी ने कहा, "दुनिया के अच्छे भविष्य के लिए वैश्विक निकायों को आज की वास्तविकताओं को ध्यान में रखने जरूरी होगा।" उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 51 संस्थापक सदस्यों के साथ हुई थी तब दुनिया बिल्कुल अलग थी क्योंकि लेकिन ये संख्या लगभग 200 हो गई है। "इसके बावजूद, यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या वही बनी हुई है।"

"तब से दुनिया काफी बदल गई है चाहे परिवहन हो, संचार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है।"

पीएम मोदी ने साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करने वाले ज्वलंत मुद्रों में से एक बताया।

उन्होंने एक उदाहरण के रूप में आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस (एआई) का हवाला दिया और कहा कि जी20 देशों को 2019 में ब्लॉक की ओर से अपनाए गए "एआई सिद्धांतों" से आगे जाने की जरूरत है।

रूस-यूक्रेन युद्ध और सम्मेलन का घोषणा पत्र
जी-20 सम्मेलन के घोषणापत्र पर आम सहमति को भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि रूस-यूक्रेन मुद्रे पर सदस्य देशों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं था। घोषणापत्र पर सहमति कायम करने में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की इसमें अहम भूमिका रही।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि जी-20 सम्मेलन ने भारत और उसके नेतृत्व को 'लोकतांत्रिक मूल्यों के मिलन बिंदु' के तौर पर पेश किया। घोषणापत्र में यूक्रेन के मुद्रे पर रूस का नाम न लेना और जी-20 देशों के नरम रुख को लेकर काफी चर्चा है।

उनके मुताबिक अमूमन जी-20 में जी-7 यानी अमीर पश्चिमी देश हावी रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत और विकासशील देशों ने ये पहले ही जता दिया था कि रूस-यूक्रेन के मुद्रे को इस पर हावी नहीं होने दिया जाएगा।

जबकि इंडोनेशिया में हुए पिछले जी-20 सम्मेलन में अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के दबदबे की वजह से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए रूस की निंदा की गई थी।

उन्होंने कहा, "बड़ी बात ये थी कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने इस यथार्थ को मंजूर किया और उन्होंने इस पर बहुत जोर नहीं दिया। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की उपलब्धि कही जाएगी।"

यूक्रेन की नाराजगी पर भारत ने क्या कहा?

वरिष्ठ पत्रकार संजीव सिंह ने कहा, "इससे यूक्रेन नाराज हुआ और उसका ऐसा होना लाजिमी था। यूक्रेन पूरा जोर लगा रहा था कि इस सम्मेलन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए या फिर उसके राष्ट्रपति वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की को इसे वीडियो लिंक के जरिये संबोधित करने का मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन का मुद्दा नहीं चला।"

इस मामले का जिक्र करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडोनेशिया के बाली में यूक्रेन मुद्रे पर प्रस्ताव से इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "बाली सम्मेलन एक साल पहले हुआ था। तब हालात अलग थे। तब से अब तक बहुत कुछ हो चुका है।" विशेषज्ञों का कहना कि भारत ने जी-20 सम्मेलन में रूस-यूक्रेन का मुद्दा हावी नहीं होने दिया।





इसके बजाय इसमें कोविड के बाद की दुनिया में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टोकरेंसी पर रेगुलेशन और वैश्विक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, जो आज की आर्थिक चुनौतियों से भरी दुनिया के लिए बिल्कुल मुफ्तीद मुद्दे थे।

किन देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत

सम्मेलन के इतर भारत की 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। अमेरिका ने बातचीत के दौरान 31 ड्रोन खरीदने के लिए भारत की ओर से अनुरोध पत्र जारी करने का स्वागत किया।

मोदी और बाइडन ने कहा कि दोनों सरकारें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर काम करती रहेंगी और सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन के लिए काम करेंगे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी के साथ बातचीत में मुक्त व्यापार समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश में तेजी लाने की प्रतिबद्धता जताई गई।

वहाँ बांग्लादेश से सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार और कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को बाइडेन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और मर्हीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

9 सितंबर को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली से द्विपक्षीय वार्ता हुई। 10 सितंबर यानी रविवार को पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रॉपे से बात की और वहाँ खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर भारत की विंता से अवगत कराया। पीएम मोदी तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिले।

जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 11 सितंबर को नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। बाइडन ने कहा, जी-20 ने उम्मीदें बढ़ाई।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी जी-सम्मेलन में चर्चा के दौरान शामिल किए गए मुद्दों पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस साल के जी-20 सम्मेलन ने ये साबित कर दिया कि ये संगठन

हितों से जुड़े मुद्दों को आवाज़ देने के लिए भारत की तारीफ की। जी-20 शिखर सम्मेलन के समाप्ति सत्र में पीएम मोदी ने ब्राजील को इस समूह की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं भी दी।

ब्राजील आधिकारिक रूप से इस साल एक दिसंबर को जी-20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। लूला डी सिल्वा ने कहा कि जी-20 सामाजिक समावेश, भूख के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी राजनीतिक ताकत बरकरार रखने के लिए स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में नए विकासशील देशों की।

ब्रिटेन ने चीन के सामने उठाया जासूसी का मामला

सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को जी-20 शिखर सम्मेलन में अपने देश के संसदीय लोकतंत्र में कथित चीनी हस्तक्षेप से पैदा चिंताओं का जिक्र किया। ब्रिटेन की एक मीडिया रिपोर्ट में दो व्यक्तियों के खिलाफ जासूसी के आरोपों का खुलासा होने के बाद उन्होंने अपने देश की इस चिंता का जिक्र किया। 'द संडे टाइम्स' के मुताबिक ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट्री रिसर्चर के दावों के बाद सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जासूसी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस खबर के आने के बाद सुनक ने जी-20 सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की। उन्होंने ने इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन की चिंता के बारे में उन्हें जानकारी दी।

10 डाइनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में चीनी हस्तक्षेप के बारे में अपनी अहम चिंताओं से अवगत कराया।"

महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

जी-20 सम्मेलन के आखिरी दिन पीएम मोदी और इसमें शामिल होने आए दुनिया भर के नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे।

इस दौरान पृष्ठभूमि में 'बापू कुटी' का चित्र दिख रहा था। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित 'बापू कुटी' 1936 से लेकर 1948 में महात्मा गांधी के निधन तक उनका निवास स्थान था।

प्रधानमंत्री जी-20 नेताओं को 'बापू कुटी' के महत्व के बारे में समझाते नजर आ रहे थे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद जी-20 नेताओं ने 'लीडर्स लाउंज' में 'शांति दीवार' पर हस्ताक्षर भी किए।



भारत और कनाडा के बीच रार से क्या बिगड़ेंगे कारोबारी रिश्ते? दोनों देशों में किस पर होगा ज्यादा असर!



शिप्रा गौड़
सिविल सेवा अधिकारी

जानकारों का कहना है कि भारत से बड़ी संख्या में रोजगार के लिए लोग कनाडा का रुख करते हैं। इनमें पंजाबियों की संख्या काफी अधिक है। 2018 से, कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों में सबसे अधिक भारत से पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं। कनाडाई ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का कहना है कि 2022 में, उनकी संख्या 47% बढ़कर लगभग 320,000 हो गई। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने जी20 के बाद भारत के साथ ट्रेड मिशन का रोकने का ऐलान कर इस लड़ाई में भी डालने का काम किया है। कनाडाई पीएम यही नहीं रुके और भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत में जवाबी करावाई करते हुए कनाडा के सीनियर डिप्लोमैट को निकाल दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने कारोबारी जगत की नींद उड़ा दी है। दरअसल दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का करोबार होता है। अगर राजनयिक रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर कारोबारी रिश्ते पर पड़ना तय है। आइए, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर तनाव और बढ़ा तो कारोबार जगत पर क्या असर होगा?

भारत और कनाडा के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके चलते 2022-23 में 8.16 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। कनाडा को भारत जिन सामानों का निर्यात करता है, उनमें फार्मास्यूटिकल्स, हीरे-जवाहरात, बहूमूल्य रत्न, दवाईयां, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिच कपड़े, ऑग्निक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग समान, लोहा और मशीनरी शामिल हैं। भारत कनाडा को करबी 4.1 बिलियन डॉलर के सामान का निर्यात करता है। वर्हीं, कनाडा से भारत दालें, लकड़ी, लुगदी और कागज और खनन उत्पाद का आयात

करता है। यह करीब 4.06 बिलियन डॉलर का है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में, कनाडा को भारत का निर्यात लगभग 911 मिलियन डॉलर का था, जबकि कनाडा से आयात 990 मिलियन डॉलर का था।

नौकरी ढूँढने वालों पर फौरी असर संभव

जानकारों का कहना है कि भारत से बड़ी संख्या में रोजगार का रुख करते हैं। इनमें पंजाबियों की संख्या काफी अधिक है। 2018 से, कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों में सबसे अधिक भारत से पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं। कनाडाई ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का कहना है कि 2022 में, उनकी संख्या 47% बढ़कर लगभग 320,000 हो गई। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने जी20 के बाद भारत के साथ ट्रेड मिशन का रोकने का ऐलान कर इस लड़ाई में भी डालने का काम किया है। कनाडाई पीएम यही नहीं रुके और भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत में जवाबी करावाई करते हुए कनाडा के सीनियर डिप्लोमैट को निकाल दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने कारोबारी जगत की नींद उड़ा दी है। दरअसल दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का करोबार होता है। अगर राजनयिक रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर कारोबारी रिश्ते पर पड़ना तय है। आइए, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर तनाव और बढ़ा तो कारोबार जगत पर क्या असर होगा?

भारत में 17वां बड़ा निवेशक है कनाडा

कनाडा के इन्वेस्ट इंडिया पेज के अनुसार, अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक कनाडा ने भारत में लगभग 3,306 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। कनाडा भारत में 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। कनाडाई निवेश कुल एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्रवाह का लगभग 0.5 प्रतिशत है। वर्हीं, दूसरी ओर दूसरी ओर, भारत 2022 में कनाडा का नोवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कनाडा से भारत में कुल एफडीआई निवेश में सेवाओं और बुनियादी ढांचे का योगदान 40.63 प्रतिशत था। आपको बता दें कि 600 से

अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में अपना बिजनेस करती हैं।

कई बड़ी कंपनियों में कनाडा पैशन फंड का निवेश

कैनेडियन पैशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (CPPIB) ने भारत में कई निवेश किए हैं। हालिया फाइलिंग से पता चलता है कि ये निवेश कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। कनाडा पैशन फंड ने कोटक महिंद्रा बैंक, जोमैटो, पेटीएम, नायका, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियों में निवेश किए हुए हैं।


कनाडा में भारतीय छात्रों की भूमिका?

2018 से, कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों में सबसे अधिक भारत से पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं। कनाडाई ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन का कहना है कि 2022 में, उनकी संख्या 47% बढ़कर लगभग 320,000 हो गई, जो कुल विदेशी छात्रों का लगभग 40% है, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को घेरेलू छात्रों को रियायती शिक्षा प्रदान करने में भी मदद करता है।

विशेषज्ञों की राय

पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच ताजा तनाव से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर असर पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि आर्थिक संबंध व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने बताया कि कनाडा के पैशन फंड भारत के बड़े बाजार और निवेश किए गए पैसे पर अच्छे रिटर्न के आधार पर भारत में निवेश जारी रखेंगे।

“
Exports from Bharat to Canada
by Year in Graph
(India Exports to Canada was US\$4.25 Billion during 2022, according to the United Nations COMTRADE database on international trade. India Exports to Canada - data, historical chart and statistics - was last updated on October of 2023.)





डॉ. माधुरी सिंह,
शिक्षाविद

वर्तमान तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समस्याओं से निपटने के 6 तरीके।

प्रौ

द्योगिकी में तेजी से बदलाव और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेषज्ञता पर जोर देने के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों में विविधता लाई जा रही है। हालाँकि, इस तेजी से बदलती आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित संकाय तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में तकनीकी शिक्षा अनेक अपर्याप्तताओं से ग्रस्त है। इसने अधिकांश संस्थानों से निकलने वाले इंजीनियरों को लगभग बेरोजगार बना दिया है। रिस्ति में सुधार के लिए कुछ छिपपुट प्रयास हुए हैं लेकिन अधिकांश प्रयासों से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। इस विफलता का मुख्य कारण समस्या से निपटने के लिए अविचारणीय और आकस्मिक दृष्टिकोण था। यदि हम वास्तव में भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं और अपने इंजीनियरों को वास्तव में राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देना चाहते हैं, तो पूरे क्षेत्र पर पूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता है। दरअसल इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से री-इंजीनियरिंग की जरूरत है। निम्नलिखित प्रमुख समस्या की पहचान की गई है और व्यवस्थित सुधार योजना का सुझाव दिया गया है:

1. तकनीकी शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन वर्तमान में, भारत में संस्थान का प्रबंधन तीन-आयामी है:

यहां भी, मुख्य फोकस मौलिक अनुसंधान पर प्रतीत होता है और अनुप्रयुक्त अनुसंधान गतिविधियाँ कम महत्वपूर्ण हैं। अन्य संस्थान - पॉलिटेक्निक के साथ-साथ डिग्री कॉलेजों का भी सरकारी रुचि और समर्थन की कमी के कारण अनुसंधान और विकास का समर्थन करने में कोई रुचि नहीं है। इसे हल करने के लिए, परामर्श की भूमिका में उद्योग के साथ इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थानों की एक मजबूत बातचीत होनी चाहिए, जिसे तकनीकी शिक्षा के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और संकाय को लाइव समस्याओं में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है और समस्याओं के समाधान के लिए भी। "संस्थान-उद्योग संपर्क" संस्थानों को उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं और गुणवत्ता आश्रासन-दोनों संकाय और छात्रों के संबंध में उनके सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को हल करने में मदद करता है।

- प्रत्यक्ष सरकार नियंत्रित संस्थान।
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान और द जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन,
- गैर-सहायता प्राप्त संस्थान का प्रबंधन निजी एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों से किया जाता है।

2. कार्यक्रम और पाठ्यक्रम विकास प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव और विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेषज्ञता पर जोर देने के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों में विविधता लाई जा रही है। हालाँकि, इस तेजी से बदलती आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित संकाय तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस उद्देश्य के लिए, उभरते क्षेत्रों में दुनिया में कहीं और हो रही अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति की बहुत बारीकी से और निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संबंधित पाठ्यक्रमों और संकाय को नियमित रूप से और लगातार समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

3. इंजीनियरिंग शिक्षा के सहयोग पर इनपुट: भारत में, इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से आईआईटी में मौजूद हैं।



4. उभरते क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी में भागीदारी यह महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक उत्पादन और इंजीनियरिंग शिक्षा में अच्छे पुराने पारंपरिक और पारंपरिक क्षेत्रों से नई उभरती प्रौद्योगिकियों के अधिक परिष्कृत क्षेत्रों पर जोर देने के साथ, उच्च प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आधुनिक इंजीनियरिंग की ऐसी विविध और विशिष्ट शाखाओं तक फैल गया है। यह जरूरी है कि आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग किया जाए।

5. नवप्रवर्तन उद्यमिता के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों का उपयोग करना तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जबरदस्त गुणाङ्क।

है। वस्तुतः यह किसी भी तकनीकी संस्थान की रीढ़ होती है। हमारे देश में, वर्तमान में, उद्यमिता को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए बहुत कम पहल की गई हैं।

6. इंजीनियरिंग में शिक्षण, सीखने की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में अतिरिक्त उपाय करना: निम्नलिखित कुछ अतिरिक्त उपाय हैं जो इंजीनियरिंग में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। अंतर-संस्थागत और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकाय के आदान-प्रदान से शिक्षकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भावना पैदा होगी। एक उपयुक्त राष्ट्रीय नीति विकसित करने की आवश्यकता है। पत्रिकाओं में लेखों के प्रकाशन, सेमिनारों में पत्रों की प्रस्तुति आदि के माध्यम से सक्रिय भागीदारी को कमोबेश अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उद्योगों और व्यावसायिक निकायों आदि द्वारा आयोजित औद्योगिक सेमिनारों में संकाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। परामर्शी नौकरियों में संकाय की भागीदारी को उद्योगों द्वारा संस्थानों और व्यक्तिगत सलाहकारों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। शिक्षण, अनुसंधान, छात्रों के साथ बातचीत आदि की क्षमता के संबंध में निरंतर आधार पर कर्मचारियों का मूल्यांकन और मूल्यांकन एक नियमित सुविधा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अंत में, यदि हम चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले हों तो हमें अपने संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाना होगा।



**अमित सिंह,
महाप्रबंधक, आईओएफएस**



**डॉ. पंकज खटक (प्रोफेसर)
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग
गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार
हरयाणा। (भारत)**

यह लेख तकनीकी शिक्षा की वर्तमान संरचना और उसके सुधार के आलोचनात्मक विश्लेषण के साथ न्याय करता है। मैं आखिरी पंक्ति में यह जोड़ना चाहूँगा कि देश की ताकत उसके शैक्षणिक संस्थानों से झालकती है। गुप्त युग भारत का स्वर्ण युग था; उन्होंने न केवल यूनानी और फ्रारसी सभ्यता को हराने वाले हूँणों को हराया बल्कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय-नालंदा बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि ब्रिटेन महाशक्ति था; और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय के साथ बर्कले, हार्वर्ड और एमआईटी।

दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने की धारणा; और समकालीन होना और उद्योग के लिए तकनीकी नवाचारों का अग्रदृश बनना एक महान तकनीकी संस्थान बनाने के लक्षण हैं। जिन तकनीकी संस्थानों का उद्योग के साथ सहजीवी संबंध है, वे असीमित महानता हासिल कर सकते हैं, जिसे डॉ. माथुरी सिंह ने बखूबी दर्शाया है।

लेखक ने भारत में तकनीकी शिक्षा के सामने आने वाली समस्याओं के सभी समाधानों को संबोधित करने का प्रयास किया है। ये समस्याएँ बहुआयामी हैं। तकनीकी शिक्षा का दृष्टिकोण सैद्धांतिक से अधिक व्यावहारिक है। सुस्पष्ट तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए संकायों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। छात्र अपने करियर लक्ष्य को लेकर असमंजस में हैं। भारत में उद्योग विदेशी तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों द्वारा किए गए शोध पर निर्भर हैं। मेरा मानना है कि तकनीकी शिक्षा का सही दृष्टिकोण जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। किसी भी तकनीकी शिक्षा का पाठ्यक्रम उद्योग के पेशेवरों के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए। उद्योगों के भीतर संकाय और छात्रों का प्रशिक्षण एक नियमित सुविधा होनी चाहिए। तकनीकी संस्थानों में उद्योग जगत के विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किये जा सकते हैं। तकनीकी संस्थानों को उद्योग में कार्यरत पेशेवरों के लिए अंशकालिक या शाम की कक्षाएं भी प्रदान करनी चाहिए। इसलिए, तकनीकी शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण व्यावहारिक अवधारणाओं और वर्तमान दुनिया की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए।



हिन्दी भारत की बिदी

डॉ. गीतू धवन भूटानी,
सहायक प्राध्यापक

हिंदी दिवस विशेष- हिंदी भाषा का महत्व, प्रसार और प्रासंगिकता

मा नव जाति अपने सृजन से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने के तरह-तरह के माध्यम खोजती ही है। आपसी संकेतों के सहरे एक-दूसरे को समझने की ये कोशिशें अभिव्यक्ति के सर्वोच्च शिखर पर तब पहुँच गई जब भाषा का विकास हुआ। भाषा लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे सरल और जरूरी माध्यम है। आज यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर, इस आलेख में हिंदी भाषा पर चर्चा की गई है।

14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है?

दरअसल इसी दिन संविधान सभा ने वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संबंध में तमाम बहस-मुहाबिसें हुईं। अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे। इनमें भी दक्षिण भारतीय राज्य जैसे

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रमुख थे। उनका तर्क था कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और यदि इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो ये उनके साथ अन्याय सरीखा होगा। अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मध्यमार्ग अपनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, इसके साथ ही अंग्रेजी को भी राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया तब से ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

हिंदी भाषा की विकास यात्रा

एक भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करें तो यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। एक भाषा के विकास में उस समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जहाँ पर ये बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में भी समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है; खासकर उत्तर भारतीय राज्यों की भूमिका। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसी भाषा के विभिन्न काल खंडों में अलग-अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा से पालि, पालि से प्राकृत, प्राकृत से अपन्नंश, अपन्नंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है जिसे आज हम बोलते हैं। हालांकि इसे लेकर मतभेद है कि अपन्नंश से हिंदी का विकास हुआ है या पुरानी हिंदी से।

मगर वर्तमान भाषाविज्ञानी इसे अपन्नंश से ही विकसित हुआ मानते हैं। अगर हिंदी भाषा के विकास के कालखंड की बात करें तो यह तीन कालों में विकसित हुई- पहला कालखंड 1100 ईस्वी - 1350 ईस्वी का माना जाता है, इसे प्राचीन हिंदी का काल कहा जाता है। दूसरा कालखंड मध्य काल (1350 ईस्वी - 1850 ईस्वी) कहा जाता है। इस काल में हिंदी भाषा की बोलियों अवधी और ब्रज में विपुल साहित्य रचा गया। तीसरा कालखंड 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है और इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में हिंदी भाषा का स्वरूप बेहद तेजी से बदला है। दरअसल इस काल में हिंदी जन-जन की भाषा बन गई। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस दौरान हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रचलन खूब बढ़ा। ये हिंदी भाषा का ही असर था कि उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत से भी आने वाले आजादी के नायकों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने की पुरजोर वकालत की। हालांकि हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है।

क्यों नहीं है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा?

यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें दो प्रमुख अंतर हैं। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहाँ जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं तो वही राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। राजभाषा का प्रयोग अक्सर सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्मिकों द्वारा किया जाता है। कुछ देश जैसे ब्रिटेन की इंग्लिश, जर्मनी की जर्मन और पाकिस्तान की उर्दू की राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। मगर बहुभाषी देशों के साथ यह समस्या है। यहाँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग-अलग होती है। राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में गुजरात के भरुच में हुए गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की थी- "भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है; यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है।" हालांकि आजादी के बाद इसे लेकर तमाम तरह के विवाद हुए और अंततः अंग्रेजी के साथ इसे राजभाषा के रूप में ही स्वीकार किया गया। शुरूआत में तो यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए ही था और साथ ही संसद को भी ये शक्ति दी गई थी कि वो अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ा सकता है। वर्ष 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने के समय के पूर्व ही अहिंदी भाषी राज्यों का विरोध इस कदर तीव्र हो गया कि अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को अहिंदी भाषी राज्यों को ये आश्वासन देना पड़ा कि आपकी सहमति के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1967 में इसे संशोधित किया गया। इसमें किये गए प्रावधानों से अहिंदी भाषी राज्यों की तो चिंता खत्म हो गई मगर हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व मानने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। सरकार ने इन चिंताओं को संबोधित करते हुए त्रिभाषा फार्मूला दिया। इसके अंतर्गत पहली भाषा मातृभाषा होगी जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरी भाषा गैर हिंदी भाषियों के लिए हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए आठवें अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा होगी। तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी होगी ताकि शिक्षित

हिंदी

लिखें. पढ़ें. बोलें. गर्व करें।



भारतीय विश्व से भी आसानी से जुड़ सकें।

हालांकि विभिन्न राज्यों की सहमति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। इसी क्रम वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग ही हिंदी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न समारोहों जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पत्रवाड़ा और हिंदी सप्ताह का आयोजन करता है। इसी के तत्त्वाधान में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगर हिंदी भाषा की संवेद्धानिक स्थिति की बात की जाए तो यह राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 5, भाग 6, भाग 17 में समाविष्ट है। भाग 17 में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। इसमें संघ शासन, प्रादेशिक शासन, उच्चतम और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में बताया गया है कि संसदीय कामकाज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि किन्हीं सदस्यों को इन्हें बोलने में दिक्कतें हैं तो वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी भाषा में बात कह सकते हैं। भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल के लिए भी ऐसे प्रावधान हैं। अगर हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो यह विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढाई जाती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है तो दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है। इसके अलावा भारत और फिजी की यह राजभाषा है। ब्रिटिश भारत काल के दौरान बहुत से श्रमिकों को भारत से बाहर ले जाया गया था। इनमें से अधिकांश देशों में हिंदी भाषा आज एक क्षेत्रीय भाषा है; ये देश हैं- मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनियाद, गुयाना आदि। मॉरीशस में तो विश्व हिंदी संचिवालय की भी स्थापना की गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिल सका है।

जागरूकता सृजन के लिए विभिन्न सेमिनारों, समारोहों और कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है।

आगे की राह

हालांकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें दिखाई हैं। गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहाँ विषयवस्तु निर्माण की रफतार 19 फीसदी है तो हिंदी के लिए ये आंकड़ा 94 फीसदी है। इसलिए हिंदी को नई सूचना-प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये इस भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए, निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषियों को भी गैर हिंदी भाषियों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा। उनकी भाषा-संस्कृति को समझना होगा तभी वो हिंदी को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार होंगे।

चुनौतियाँ

अगर हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर सामयिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इसे 'राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता' का न मिलना है। इसके अलावा एक उच्च शिक्षित अभिजात्य वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है। हिंदी भारत की सार्वभौमिक संवाद भाषा भी नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 41 फीसदी आबादी की ही मातृभाषा हिंदी है। इसके अलावा लगभग 75 फीसदी भारतीयों की दूसरी भाषा हिंदी है जो इसे बोल और समझ सकते हैं। हिंदी भाषा के सामने एक प्रमुख चुनौती यह है कि क्या अब तक रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के दैनिक कामकाज से लेकर कार्य संचालन की भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी अपने निहित स्वार्थों के लिए हिंदी का विरोध करते हैं। अभी भी भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी ही रहता है। हिंदी भाषा की हालत आज ऐसी है कि इसके संबंध में



प्रान्तीय ईर्ष्या-द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता

इस हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती – सुभाषचंद्र बोस



"अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिये ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है।"

- महात्मा गांधी।

समझौतों से नहीं, गुरु जंभेश्वर के बताए रास्तों पर चल कर ही पर्यावरण संरक्षण हैं संभव :

प्रो. नरसी राम बिश्नोई

(कुलपति गु.ज.वि, हिंसा)



पर्यावरण एवं जीव जंतुओं का संरक्षण गुरु जंभेश्वर जी के द्वारा दिखाए गए रास्तों से ही किया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं पर्यावरण संरक्षक और समाज सुधारक गुरु जंभेश्वर जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, वह आज के समय में भी कितनी प्रासंगिक हैं। गुरु जंभेश्वर जी ने पर्यावरण, वातावरण, पेड़-पौध, जीव-जन्म और मानवों के लिए जो सिद्धांत दिए हैं, जिससे समाज को और पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता हैं। और आज के प्रतीकूल समय में जबकि पर्यावरण के संरक्षण की बात बड़े-बड़े संगठनों के द्वारा की जा रही है। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे अन्य जगह, चाहे वह ग्लोबल वॉर्मिंग की बात हो या फिर ग्लेशियर पिघलने की। महाराज जी ने पहले ही सब कुछ समझ कर उसी वक्त पर्यावरण के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण के लिए बड़े-बड़े लोगों ने बीड़ा उठाया है, लेकिन दुनिया को शायद पता नहीं कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान गुरु जंभेश्वर जी के सिद्धांतों के द्वारा पहले ही विश्व को प्रदान कर दिया था। गुरु जी के समय के लोग शायद उनकी बातों को उस वक्त समझ नहीं पाए हो, लेकिन वह सभी कुछ इतनी प्रासंगिक थी, ये अब महसूस हो रहा है, जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता। अगर भारत और विश्व को सचमुच में पर्यावरण को बचाना है, अगर यह सभी सचमुच में पृथ्वी को हरा भरा और जीवों से परिपूर्ण देखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम गुरु जंभेश्वर जी के शिक्षाओं पर अमल किया जाना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत का पालन सर्वप्रथम करना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते यह सब कुछ हमारे जहन में पहले से ही होना चाहिए था क्योंकि यहीं तो हमारी विरासत है। हमारा दुर्भाग्य है कि सभी चीजें भारत में होने के बाद भी वे अगर विश्व में मान्य होती हैं, तभी हम स्वीकार करते हैं। जैसे कि योग को ही देख लीजिए, भारत में प्राचीन काल से योग के महत्व को बताया गया लेकिन जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में योग के लिए एक उत्सुकता जागी, योग को योग कहे जाने लगा, तब जाकर हम

भारतीयों ने उसको स्वीकारा और आज हम इतरा रहे हैं कि योग भारत कि संस्कृति कि उपज है। वैसे ही आयुर्वेद की भी सफलता हम विदेशियों के द्वारा दी गई कसौटी पर परख कर करते हैं। और आज भी हम एलोपैथी को आयुर्वेद से ज्यादा महत्व देते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने इतने आसान शब्दों में जीवन रोग मुक्त कैसे जिया जाए, उस का मर्म लिखकर हमारे लिए छोड़ा था। महाराज जी अपने समय के विरले महापुरुष थे, जो कि भविष्य का भी ज्ञान रखते थे। तभी उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात उसी वक्त कर दी थी। जीवों से प्यार, पशु-पक्षियों को कैसे बचाया जाए, कैसे संभाला जाए, कैसे उनका भरण पोषण किया जाए, महाराज जी ने सब कुछ इतनी सहजता से सब को बताया था। शायद उस वक्त हम इन चीजों से अनभिज्ञ थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन आज के समय की मांग है वन्यजीव, जलजीव और पर्यावरण इन सब को संरक्षित और सुरक्षित रखना। तभी हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो पाएंगी। तभी हम खुली वादियों में सांस ले पाएंगे। अन्यथा यह पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी और अगर बच भी सकती है तो केवल और केवल जंभेश्वर जी के बताए रास्ते पर चलकर। भारत सरकार और दुनिया की सभी सरकारों को यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ दिखावा नहीं, यह कोई कार्य नहीं अपितु खुद में धारण करने की चीज है। इसको खुद के अंदर जब तक समाहित नहीं किया जाएगा, तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं और ना ही हम खुद बच पाएंगे। आश्र्य की बात है कि आज पर्यावरण के, पेड़-पौधों के, जीव-जंतुओं के संरक्षण की बात होती है, वहां पर गुरु जंभेश्वर जी का जिक्र तक नहीं किया जाता। अब तो गुरुजी के सिद्धांतों तक को भुला दिया गया है। गुरु जी के वचनों को अगर याद किया जाता तो आज भारत और पूरी दुनिया की स्थिति ऐसी ना होती। आज समय की मांग है कि दुनिया गुरु जंभेश्वर जी के पद चिन्हों पर चले, उनके वचनों को स्वीकार कर खुद में अंगीकृत करें, तभी जाकर पृथ्वी और जीव जंतु बच सकते हैं। अन्यथा परमेश्वर भी इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे।

हम सभी जानते हैं कि हम कैसे विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। किस तरह के माहौल से हम गुजर रहे हैं। इंसान अपने संबंधियों से बात करने की भी फुर्सत नहीं जुटा पा रहा है, वह पैसा कमाता है और सब कुछ उसके दबाई में चली जाती हैं। 50-60 मंजिल वाले मकान पर एक दो कमरे का घर लेकर आदमी खुश हो जाता है, जैसा कि उसने बहुत कुछ पा लिया है। ना उसको पेड़-पौधों से कोई मतलब है, ना जीव जंतुओं से, और ना ही पर्यावरण के संरक्षण से ही कोई मतलब है बस उनको बिजली मिलनी चाहिए, भले ही बिजली के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हो, जो कि पर्यावरण के लिए घातक है। उनके घरों में ए.सी. चलनी चाहिए, भले ही ए.सी. से ऐसे जहरीली हवाएं निकलती हैं जो कि पर्यावरण को दूषित करती हो। उनकी गाड़ियां चलती रहनी चाहिए, भले ही गाड़ियों के धूएं से पर्यावरण दूषित होती हो। उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही धीरे-धीरे मनुष्य अपनी ही अर्थों को कंधा देते देते शमशान तक पहुंचने की जल्दी में है। और मजे की बात यह है उसको पता ही नहीं कि जिसकी लाश वो ढो रहा है, वह उसकी खुद की लाश है। और होना क्या है, हम संभल तो सकते नहीं, क्योंकि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने कुछ ज्यादा ही शोध कर लिया हैं। हम बहुत बुद्धिमान हो गए, क्योंकि हमने अपने पौराणिक ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी अपनी साध-संतों द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलने की जहमत नहीं उठाई, जिसका खामियाजा आज भारत को भुगतान पड़ रहा है। भारत की राजधानी विश्व के प्रदूषित जगहों में से एक है। ऐसे ही भारत के कई शहर हैं, जो लिस्ट में हैं। इन सब चीजों से हमें तब ही निपटारा मिल सकता है, जब हम अपने पौराणिक ग्रंथों, ऋषि-मुनियों और गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलें और अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो गुरु जंभेश्वर से बड़ा नाम कोई नहीं होगा। विश्व को आज समझना होगा कि अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो गुरु जंभेश्वर जी के दिखाए रास्ते पर ही संभव हो सकता है। और इसको एक चुनौती के रूप में ना लेकर स्वभाव के रूप में इसको अपने अंदर अंगीकृत करना होगा। और इसको अपने जीवन का एक भाग बनाना होगा। तभी कुछ बदलाव संभव है, अन्यथा दुनिया काल के कपाल में समाती जा रही है।

आत्महत्या से जुड़े सात सवालों के जवाब।

१ ? ?



प्रो. सुजाता सेन

द निया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या है। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आत्महत्या करने की मेडिकल वजहें भी हो सकती हैं। आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्टेदारों से भी बात करनी चाहिए। वर्ल्ड सुसाइट प्रीवेंशन डे (विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस) के मौके पर हमने कुछ विशेषज्ञों से बात करके आत्महत्या से जुड़े कुछ सवालों के जवाब तलाशे हैं।

1. लोग आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हैं?

जब कोई शख्स आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है तो इस स्थिति को मनोचिकित्सक सुसाइटल आइडिएशन (आत्महत्या का ख्याल) कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक वजह से ऐसा हो। विशेषज्ञों की राय में जब व्यक्ति को किसी मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचता है।

मेंटल हेल्थ एम्पावर से जुड़ी मनोचिकित्सक दिलशाद खुराना इसे आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह बताती हैं। वो कहती हैं, "ऐसे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है।"

यही वजह है कि अवसादग्रस्त लोगों में आत्महत्या करने की दर सबसे ज़्यादा देखी गई है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आत्महत्या का विचार अपने आप ही आने लगता है या फिर इसकी कोई मेडिकल वजह भी होती है?

मनोचिकित्सक और गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. संदीप राणा बताते हैं, "आत्महत्या का विचार प्राकृतिक नहीं होता है। मस्तिष्क में बायो न्यूरोलॉजिकल बदलावों के चलते लोगों को लगने लगता है कि जीवन किसी काम का नहीं है। इसके बाद व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार आता है। आत्महत्या के 90 प्रतिशत मामले मानसिक विचार के चलते होते हैं।"

वो कहते हैं कि अवसादग्रस्त लोगों को दुनिया हमेशा नाकारात्मक नज़र आती है, वे हर चीज़ को निगेटिविटी से देखने लगते हैं।

• अवसाद

- मानसिक स्थिति का एकसमान नहीं रहना
- बेचैनी और घबराहट का होना
- जिस चीज़ में पहले खुशी मिलती थी, अब उसमें दिलचस्पी ना होना
- हमेशा निगेटिव बातों का आना
- भविष्य को लेकर निगेटिव दृष्टिकोण का होना

3. मानसिक विचार की चपेट में आने पर लोगों में क्या बदलाव दिखते हैं?

विशेषज्ञों के मुताबिक, जो लोग हमेशा मुस्कुराते दिखते हों या आसानी से दूसरे लोगों से घुल-मिल जाते हों वो भी मानसिक विचार की चपेट में आने के बाद अचानक से अकेला महसूस करने लगते हैं।

मानसिक विचार से पीड़ित शख्स अधिक शराब पीने लगता है। वह नाकारात्मक ढंग से चीज़ों को देखने लगता है, उस पर जीवन को लेकर निराशावादी दृष्टिकोण हावी होने लगता है। अगर आपके आसपास किसी के जीवन में ऐसे बदलाव हो रहे हों तो उन पर ध्यान देना ज़रूरी है।

मनोविज्ञान विभाग, गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सह-प्रायापक डॉ. तरुणा बताती हैं, "ज़रूरी नहीं है कि आत्महत्या का विचार वाले सभी लोगों में इसके संकेत दिखे। वे जो बोलते हैं या करते हैं, उससे भी यह ज़ाहिर हो सकता है।"

हालांकि, इन चीज़ों के बारे में लोग अमूमन बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये बार-बार होने लगे तो इसे खतरे का संकेत मानना चाहिए।



2. आत्महत्या का ख्याल आने के संकेत क्या-क्या हैं?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2022 में आत्महत्या करने वाले 79 प्रतिशत लोग निम्न और मध्य आय वर्ग वाले देशों के थे।

संगठन के अनुसार जिन लोगों के व्यवहार में इस तरह के संकेत मिलें उनमें आत्महत्या का विचार आ सकता है-

4. अगर आत्महत्या का ख्याल आए तो क्या करें?

व्यक्ति के मन में नकारात्मक ख्यालों का आना साधारण बात है। कई बार ऐसे ख्याल कुछ ही पलों के लिए आते हैं लेकिन कुछ लोगों में ये धीरे-धीरे बढ़ने लगता है।

मानसिक विकारों को लेकर अभी भी काफ़ी ग़लतफहमियां हैं, इसलिए लोग इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते।

विशेषज्ञों के मुताबिक इसके लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

मनोविज्ञान विभाग के सहायक प्राथ्यापक डॉ. संजय कुमार बताते हैं, "मानसिक विकार वाले लोग आत्महत्या का ख्याल आने पर खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए उनका तुरंत इलाज करना ज़रूरी है।"

5. अगर किसी और को आत्महत्या का ख्याल आता हो तो क्या करें?

आपका कोई क़रीबी कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं तब आप क्या करेंगे? स्थिति को कैसे संभालेंगे? ये सवाल आपके मन भी आ रहा होगा।

डॉ संजय कुमार इसको लेकर कुछ टिप्स सुझाते हैं-

- ऐसे लोगों के साथ बैठकर उनको चुपचाप सुनना चाहिए।
- वह खुल कर अपनी बात कह सकें इतनी आत्मीयता से बात करनी चाहिए।
- चुपचाप उनकी बातों को सुनें, किसी नतीजे तक नहीं पहुंचें।
- उनकी समस्या को समझें और उसे स्वीकार करें। यह न कहें कि ये तो कोई समस्या नहीं है।
- उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें।



7. आत्महत्या के ख्याल को कैसे दूर कर सकते हैं?

सुसाइड हेल्पलाइन से मदद मिल सकती है। काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और चिकित्सकीय मदद से आप नकारात्मक विचारों को दूर सकते हैं।

डॉ. माधुरी कहती हैं, "इलेक्ट्रोनवल्सिव (ईसीटी) थेरेपी काफ़ी कारगर होती है। इसे आम तौर पर शॉक थेरेपी भी कहते हैं लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता और सुधार भी तेज़ी से होता है।"

कैर्इएम हॉस्पीटल की काउंसलर संगीता राव (बदला हुआ नाम) एक उदाहरण के साथ समझाती हैं, "एक महिला तलाक़ ले रही थीं, उनके अवसाद का भी इलाज चल रहा था। मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ? ये सोचते-सोचते वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थीं। लेकिन सही सलाह के बाद वे आज एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रही हैं।"

ऐसा उनके विचारों में बदलाव लाकर किया गया। संगीता राव ने बताया, "अगर आप किसी से कह नहीं सकते हैं तो उसके बारे में लिखना चाहिए।"

जब कोई सेलिब्रेटी आत्महत्या करता है तो हेल्पलाइन में आने वाले फ़ोन कॉल्स की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों?

डॉ. अंजिता नायक बताती हैं, "जब कोई नामी शख्स आत्महत्या करता है तो लोग मदद लेने के बारे में सोचते हैं। और फिर उनके मस्तिष्क में जब निगेटिविटी बढ़ती है तो वे मदद के लिए फ़ोन करते हैं।"

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कैर्इएम अस्पताल की 'हितगुज़' हेल्पलाइन पर आने वाले फ़ोन कॉल्स की संख्या क्रीब चार गुनी बढ़ गई थी। 'हितजु़' हेल्पलाइन की काउंसलर संगीता राव बताती हैं, "सुशांत की मौत के बाद 15 दिन तक लगातार बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहे थे।"

यहां ये समझना ज़रूरी है कि मानसिक विकार वाले लोगों के लिए परिवार की सहायता सबसे ज़रूरी पहलू है। परिवार के सदस्यों को भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मानसिक विकार और आत्महत्या के ख्याल पर किशोरों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए।

उसको लेकर किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए।

विशेषज्ञों के मुताबिक परिवार के सदस्यों या दूसरों को आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे किसी व्यक्ति को बिना सोचे समझे कोई सलाह भी नहीं देनी चाहिए।

6. आत्महत्या के विचार से जुड़ी ग़लतफहमियां क्या-क्या हैं?

लोगों में आत्महत्या करने के विचार से जुड़ी कई ग़लतफहमियां होती हैं। एक ग़लतफहमी तो यही है कि लोग अमूमन ये सोचते हैं कि जब तक स्थिति गंभीर नहीं हो तब तक लोग आत्महत्या के बारे में नहीं सोचते हैं।

डॉ तरुण कहती हैं, "आत्महत्या का ख्याल कभी भी आ सकता है।"

वे इससे जुड़ी ग़लतफहमियों के बारे में बताती हैं-

आत्महत्या की बात केवल ध्यान खींचने के लिए की जा रही है।

आत्महत्या की बात करने से दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं।

दूसरे लोग भी आत्महत्या करने के बारे में सोच सकते हैं।

जो लोग पूरी तरह ठीक हैं वे आत्महत्या के बारे में नहीं सोच सकते।

संगीता राव के मुताबिक सुशांत की मौत के बाद जिन लोगों ने फ़ोन किए उनमें 20 प्रतिशत लोगों को आत्महत्या के ख्याल आ रहे थे।

उन्होंने यह भी बताया, "कोविड महामारी के तीन चार महीनों के बाद भी ढेरों लोगों ने हेल्पलाइन में फ़ोन किया था। बिजनेस नहीं चलने, घर में झगड़े और आर्थिक तंगी के चलते लोग आत्महत्या करना चाहते थे।"

काउंसलर्स के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है।

हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों में भी लोग आत्महत्या करते हैं, वहां पारिवारिक रिश्तों में मुश्किलों के चलते महिलाएं ज़्यादा आत्महत्या करती हैं।



N.D.A.

I.N.D.I.A



कानूनी दृष्टिकोण से महागठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखना कितना प्रासंगिक ?



अमन युसुफ,
कॉलमनिस्ट

2024

में होने वाले 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ दल एवं विपक्षी दल, चुनावी रणनीति बनाने में लग गए हैं। सत्तारूढ़ दल (एनडीए) के खिलाफ एकजुट होने वाले 26 विपक्षी दलों ने बैंगलुरु के मीटिंग में महागठबंधन के नाम का एलान कर दिया है। पहले इस महागठबंधन का नाम यूपीए हुआ करता था लेकिन अब इसका एक नया नाम दिया गया है 'INDIA'। पूरा नाम - इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन इस नाम के एब्रिविएशन यानी छोटे नाम 'INDIA' को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन के खिलाफ कुछ लोगों ने आपत्ति एवं शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने वाले का कहना है, कि ये INDIA नाम रखना प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन है। और निश्चित रूप से उन सभी भारतीयों की भावनाओं को आहत किया है जो खुद को 'India' का नागरिक मानते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171(च) के अनुसार, इस पर वैधानिक कार्रवाई करें। तो ऐसे में जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम,

1950 में क्या प्रावधान हैं। इस अधिनियम में आवश्यकता अनुसार समय-समय पर संशोधन भी होता रहा है। प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950, प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) नियम 1982, राष्ट्रीय प्रतीक भारत के राज्य चिह्न (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 और भारत के राज्य चिह्न (उपयोग का निषेध) नियम, 2007 इन कानूनों का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों, समुदायों और प्रतीकों के लाभों को गलत तरीके से उपयोग में लाना वर्जित किया गया है। प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के धारा 8 में जो

अनुसूची दिया गया है, उस में संशोधन करने की केन्द्र सरकार की शक्ति निहित है। अनुसूची 1 के अंदर, धारा 2(A) एवं 3 के अंतर्गत कुछ नामों को उपयोग करना प्रतिबंधित है। जिन नामों, प्रतीकों और चिह्नों को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

- संयुक्त राष्ट्र संगठन का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर।

- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज।

- भारत सरकार या किसी राज्य का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर, या ऐसी किसी सरकार द्वारा या ऐसी किसी सरकार के विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई अन्य प्रतीक चिन्ह या हथियार का कोट।

- सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत) और सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड (भारत) के प्रतीक, जिसमें चार प्रमुख कोणों में सुशोभित एक सफेद आठ नुकीले क्रॉस का उपकरण शामिल है, चाहे उपकरण संकेद्रित वृत्तों या अन्य सजावट या अक्षरों से घिरा हो या नहीं।

- राष्ट्रपति, राज्यपाल, सदर-ए-रियासत या गणतंत्र या भारत संघ का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर।

- कोई भी नाम, जो सुझाया जा सकता है या सुझाया जा सकता है- (i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का संरक्षण; या (ii) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी निगम या सरकार द्वारा किसी भी समय लागू कानून के तहत गठित निकाय से संबंध।

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर।

- राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, राजभवन का नाम या सचिव प्रतिनिधित्व।

- महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, छत्रपति शिवाजी महाराज या भारत के प्रधान मंत्री के सचिव प्रतिनिधित्व का नाम या शब्द 'गांधी', 'नेहरू' या 'शिवाजी', कैलेंडर पर उनके सचिव उपयोग को छोड़कर, जहां केवल कैलेंडर के निर्माताओं और प्रिंटर के नाम दिए गए हैं और कैलेंडर विज्ञापन वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले डॉट हैं।

- सरकार द्वारा समय-समय पर स्थापित पदक,

बैज या सजावट या ऐसे पदक, बैज या सजावट के लघुचित्र या प्रतिकृतियां या ऐसे पदक, बैज या सजावट के नाम या उनके लघुचित्र या प्रतिकृतियां।

11. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्योग संगठन का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर।

12. शब्द $\frac{1}{2}$ इंटरपोली $\frac{1}{2}$ जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का एक अभिन्न अंग है।

13. विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नाम, प्रतीक या आधिकारिक मुहर।

14. भारतीय तपेदिक एसोसिएशन का नाम, प्रतीक।

15. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का नाम, प्रतीक और आधिकारिक मुहर।

16. नाम $\frac{1}{2}$ अशोक चक्र $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{2}$ धर्म चक्र $\frac{1}{2}$ या अशोक चक्र का सचित्र प्रतिनिधित्व, जैसा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी किसी सरकार के विभाग की आधिकारिक मुहर या प्रतीक में उपयोग किया जाता है।

17. संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का नाम, या सर्वोच्च न्यायालय, या किसी राज्य का उच्च न्यायालय, या केंद्रीय सचिवालय, या किसी राज्य सरकार का सचिवालय या कोई अन्य सरकारी कार्यालय या उपरोक्त संस्थानों में से किसी के कब्जे वाले किसी भी भवन का सचित्र प्रतिनिधित्व।


18. राम कृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का नाम और प्रतीक पानी पर तैरता हुआ एक हंस है, अग्रभूमि में एक कमल है और पृष्ठभूमि में उगता सूरज है, पूरा शरीर एक फन वाले नाग से घिरा हुआ है, और नीचे के हिस्से पर शब्द अंकित हैं।

19. श्री सारदा मठ और रामकृष्ण सारदा मिशन के नाम और प्रतीक में पानी पर तैरता हुआ एक हंस (दाहिनी ओर मुख), अग्रभूमि में एक कमल और पृष्ठभूमि में उगता हुआ सूर्य, एक जंगली सर्प (दाहिनी ओर मुख) से घिरा हुआ है और नीचे के भाग पर शब्द अंकित हैं।

20. भारत स्काउट्स और गाइड्स का नाम और उसका 'प्रतीक'।

21. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नाम और प्रतीक जिसमें पांच इंटरलेस्ट रिंग शामिल हैं। कोई भी नागरिक एवं व्यक्ति प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (धारा 5 के तहत जुर्माना) कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर सिर्फ बोलचाल के लिए ही गठबंधन बनाया गया है तो वो 'INDIA' इसका नाम रख सकते हैं या फिर कहने-सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बात रजिस्ट्रेशन वगैरह की आएगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा। चूँकि बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गठबंधन का एक सचिवालय भी होगा, इसीलिए हो सकता है कि आगे चल कर गठबंधन के नाम पर ही चुनावी अभियान से लेकर वेबसाइट वगैरह भी लॉन्च की जाए।



**"यह I.N.D.I.A नहीं,
यह घमंडिया गठबंधन है।"**
:प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी



**I.N.D.I.A एलियंस को
बीजेपी हरा नहीं सकती है।
: राहुल गांधी**



**'इसे I.N.D.I.A नहीं बोलना चाहिए, ये dot
dot dot ग्रुप है... चोला बदलने से पिछले
कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी।'**
:योगी आदित्यनाथ

भारत में अगर किसी नए राजनीतिक दल का गठन करना है तो इसके लिए आवदेन चुनाव आयोग के दफ्तर 'निर्वाचन सदन' में देना होता है। इसके बाद चुनाव आयोग इस दल को रजिस्टर करता है और उसे चुनाव चिह्न प्रदान करता है। लेकिन, बात ये भी है कि गठबंधन का नाम बिना रजिस्ट्रेशन के भी कागज पर हो सकता है और मुँहजबानी हो सकता है, इसे रजिस्टर कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है। UPA, NDA, MVA या फिर 'महागठबंधन' – इन सबका इस्तेमाल खूब होता है लेकिन किसी सरकारी पंजीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। कानून कहता है कि ऊपर जो भी वर्णित हैं उनका इस्तेमाल किसी भी संस्था,

कंपनी या समूह के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता। आपका ट्रेडमार्क या फिर डिजाइन इस तरह का नहीं हो सकता जो ऊपर वर्णित है (जैसे अशोक चक्र या राष्ट्रीय ध्वज), इनका कोई पेटेंट भी नहीं कराया जा सकता। ये भी बताया गया है कि इसमें केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। आप 'रिपब्लिक' या 'सदर-ए-रियासत' नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन, बात ये है कि जब तक इसे रजिस्टर नहीं कराया जाता तब तक सब ठीक है। अगर सचिवालय होगा, कैम्पेन लॉन्च होगा – तो रजिस्टर कराया जाएगा? तो फिर किस नाम से? क्या कोई बदलाव होगा?

हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजपूत वोट हो सकते हैं निर्णायिक, भाजपा और कांग्रेस दोनों कि हैं नज़र।



हर्ष पांडे
कॉलमनिस्ट्

स

म्राट मिहिर भोज प्रतिमा विवाद पर भड़के राजपूत समाज ने महापंचायत की। हरियाणा सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों से समाज के नेता पहुंचे। महाकुंभ में करणी सेना अध्यक्ष महीपाल मकराणा, राजद विधायक चेतन आनंद, शेर सिंह राणा व पूर्ण चंद ने शिरकत की। सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा के अनावरण विवाद को लेकर राजपूत समाज ने महाकुंभ का आयोजन किया। जिसमें वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा नेताओं के विरोध करने का एलान किया गया। समाज के नेताओं ने कहा कि राजपूत समाज बाहुल्य गंवों में किसी भी भाजपा नेता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली व अन्य राज्यों से भी समाज के नेता पहुंचे। इस दौरान समाज के लोगों ने कैथल में कुरुक्षेत्र बाइपास पर लगाई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखने पर रोष जताया। महाकुंभ की अध्यक्षता करते हुए कर्नल देवेंद्र राणा, विनोद राणा थंबड़ और शेर सिंह राणा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि 10 दिसंबर को दिल्ली में राजपूत समाज की संसद आयोजित की जाएगी। इसमें देशभर से समाज के लोग पहुंचेंगे। वहीं, फरल व कलायत गांव सहित प्रदेश के अन्य जिलों में चल रहे धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उनका कहना था कि यदि समय रहते सरकार समाज के लोगों की मांग मान लेती तो उनके इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होती।

महापुरुषों का अपमान नहीं करेंगे सहन : पूर्ण सिंह

उत्तर प्रदेश के भाकियू अध्यक्ष पूर्ण सिंह राणा ने कहा कि सरकार की सह पर एक समाज की ओर से राजपूत समाज के इतिहास को चुराया गया है। 19 जुलाई को प्रतिमा अनावरण के दौरान समाज के लोगों पर लाठियां चलाई। फिर भी समाज ने





पलटवार नहीं किया, क्योंकि राजपूत समाज लाठी को हथियार नहीं मानता है। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह केवल एक सांसद और एक विधायक के कहने पर हुआ। यदि सरकार ने महापुरुषों का अपमान किया तो इसे कर्तव्य सहन नहीं करेंगे। भाजपा को 2024 में वोट की ओट से जवाब देंगे। राजपूत समाज के नेता शेर सिंह राणा ने कहा कि सप्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर अंकित नाम के आगे गुर्जर शब्द लिखने का मामला नया नहीं है। कैथल से पहले उत्तर प्रदेश और अन्य कई जगहों पर ऐसा किया गया है। इसलिए इस समस्या का समाधान जरूरी है। राजद विधायक चेतन आनंद ने कहा कि वह पार्टी में रहकर अपने समाज की बात रखेंगे। भाजपा सरकार में लंबे समय से राजपूत समाज के इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। यह सहन नहीं किया जाएगा। परिक्षित सोलंकी ने कहा कि एक राजनीतिक शडयंत्र के तहत दो समाज के लोगों को भड़काया गया। महाकुंभ में करणी सेना अध्यक्ष महीपाल मकराणा, क्षत्रिय सेना गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत, क्षत्रिय करणी सेना की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता सिंह सहित समाज के अन्य नेता मौजूद थे।


कैथल शहर के सेक्टर-19 स्थित मैदान में हुए राजपूत महाकुंभ के दृष्टिगत बुधवार को पूरा कैथल शहर एक तरह से छावनी में तब्दील रहा। पुलिस प्रशासन की ओर से महाकुंभ स्थल और प्रदर्शन के लिए निर्धारित मार्ग पर आने वाले हर चौक-चौराहे पर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हुए थे। सब कुछ ठीक से निपट जाने से प्रशासन ने भी चैन की सांस ली। कार्यक्रम स्थल, लघु सविवालय के पास,

एक कंपनी में करीब 80 कर्मचारियों को शामिल किया गया था। विभिन्न जिलों से सात डीएसपी व कैथल के चार डीएसपी सहित 11 डीएसपी को सुरक्षा में लगाया गया। कैथल एसपी उपासना सहित जिला करनाल से एसपी शशांक कुमार सावन भी सुरक्षा को लेकर कैथल में रहे।

प्रदर्शन के दौरान जाम की स्थिति रही

जिस समय राजपूत समाज ने शहर में प्रदर्शन किया, उस समय करीब डेढ़ घंटे तक शहर में जाम की स्थिति बनी रही। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने ही विभिन्न स्थानों पर रास्ते को खाली करवाकर वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की। कार्यक्रम स्थल से पिहोवा चौक तक प्रदर्शन के कारण मार्ग अवरुद्ध रहा। पुलिस की ओर से सुरक्षा में प्रयोग विशेष वाहन, एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां लगाई गई थीं। एसपी उपासना ने बताया कि राजपूत महाकुंभ व प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल शहर में तैनात किया गया था। माहौल शांतिपूर्ण रहा। राजपूत समाज की तरफ से आयोजित किए गए महाकुंभ में एक तरफ जहां समाज के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। वहाँ, इस मंच से राजपूत समाज की राजनीतिक पार्टी बनाने की मांग उठी। मंच पर संबोधन के दौरान कुछ वक्ताओं ने समाज की अलग से पार्टी बनाने की मांग कर दी। मुख्य वक्ता बोले कि जब तक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तब तक समाज की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होने वाला है। अब 12 प्रतिशत आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है।

मंच पर समाज के नेता शेर सिंह राणा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अलग साल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए कम से कम हरियाणा में तो विधानसभा चुनावों में तो समाज के 90 में से 24 विधायक होने चाहिए। इस समय जिस सरकार ने उनके इतिहास से छेड़छाड़ की है, उसका इतिहास सत्ता में काबिज होकर खुद की ठीक करना होगा। अब हमें अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होगा। उनका विरोध लगातार जारी रहेगा।



हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, कैसे हैं संविधान का उल्लंघन।

केशव शर्मा,
कार्यकारी संपादक

ऐ

से देश में जहां संविधान लोकतंत्र को कायम रखता है और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके मौलिक अधिकारों के संबंध में की जाने वाली धोखाधड़ी सबसे खराब प्रकार की धोखाधड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी का लाखों नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जब कई दशकों के बाद भी, आम नागरिक इस तथ्य से बेखबर हैं कि उनके संविधान को उन लोगों द्वारा गंभीर रूप से कमज़ोर किया जा रहा है जिनका काम इसे बनाए रखना है। चीज़ें कानूनी लगती हैं लेकिन हैं नहीं।

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अपने नागरिकों को मौलिक धार्मिक अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अध्यास करने या प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों को बनाए रखने और स्थापित करने के लिए 'प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय' को उपलब्ध मौलिक अधिकार है; बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के धार्मिक मामलों का निर्णय करें; संपत्तियों का स्वामित्व और अधिग्रहण करें और ऐसी संपत्तियों का वैध तरीके से प्रबंधन करें।

संविधान ये अधिकार सभी को समान रूप से प्रदान करता है, भले ही वे 'बहुसंख्यक' या 'अल्पसंख्यक' हों। यह सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन इन अधिकारों से केवल 'बहुसंख्यकों' यानी हिंदुओं को ही वंचित किया गया है। स्वतंत्र भारत में लगभग हर राज्य सरकार ने विशेष संहिता या कानून या अधिनियम लागू किए हैं जिनके द्वारा हिंदू धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिरों, मठों और दान (बंदोबस्ती) को, यदि पूरी तरह से प्रशासित नहीं किया जाता है, तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है - जिससे हिंदुओं और उनके समुदायों, संप्रदायों आदि को इन मामलों में कोई अधिकार नहीं है।

तमिलनाडु का उदाहरण


तमिलनाडु मंदिरों की भूमि है। यहां कम से कम 400 मंदिर 1000 वर्ष से अधिक पुराने हैं - सनातन धर्म के प्रतीक और प्रतीक।

आजादी से पहले, तमिलनाडु 'मद्रास प्रेसीडेंसी' का हिस्सा था, जिसमें आज का उत्तरी केरल, लक्ष्मीपुर, तटीय आंध्र, कर्नाटक के कुछ जिले और यहां तक कि दक्षिणी ओडिशा भी शामिल था। इसी प्रेसीडेंसी में हिंदू धार्मिक संस्थानों को

नियंत्रित करने वाला पहला मनमाना कानून बनाया गया था। इसे मद्रास धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1926 (1927 का अधिनियम II) कहा गया। यह 1926 अधिनियम उन सभी धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियमों (केवल हिंदू संस्थानों के लिए) का विस्तार था, जिन्हें प्रत्येक राज्य ने "भारत गणराज्य" में अधिनियमित किया था। 1935 तक, उक्त 1926 अधिनियम में और संशोधन किया गया और प्रेसीडेंसी में कई बड़े मंदिरों का प्रशासन - विशेष रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में - ऐसे मंदिरों को सरकारी राजपत्र में "अधिसूचित" करके प्रांतीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया। इस प्रकार अधिग्रहीत 50 मंदिरों में से कुछ प्रमुख मंदिर हैं:

1. श्री रंगनाथस्वामी मंदिर, श्रीरांगम तिरुचिरापल्ली
2. श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मदुरै
3. श्री त्यागराजस्वामी मंदिर तिरुवरूर
4. श्री धनदयुथपानी स्वामी मंदिर, पलानी
5. श्री सुब्रमण्यस्वामी मंदिर तिरुचेदुर
6. श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नामलाई

जिन मंदिरों के पास विशाल भूमि और स्थल थे, उन्हें लक्षित किया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया, जाहिरा तौर पर उनकी संपत्तियों की दोहर करने के लिए और केवल उनसे उचित आय प्राप्त करने के लिए। 1951 में, मद्रास सरकार ने "मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम" लागू किया, जिसने धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग नामक एक सरकारी विभाग से बदल दिया। प्रांतीय और राज्य सरकारों ने वोटों की खातिर इन जमीनों पर अतिक्रमण और शत्रुतापूर्ण कब्जे की अनुमति दी। राजनेता इन मंदिरों और मंदिर धर्म की कीमत पर सत्ता में आते रहे। उन्होंने न तो कभी मंदिरों के अधिकारों की परवाह की और न ही उन मंदिर उपासकों के अधिकारों की, जो कभी संगठित नहीं थे।



मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

13.12.1951 को, न्यायमूर्ति सत्यनारायण राव और न्यायमूर्ति राजगोपालन अयगर की अध्यक्षता में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रथम शिरूर मठ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इस निर्णय द्वारा, 1951 अधिनियम की लगभग 20 धाराओं को असंवैधानिक और हिंदुओं के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताकर रद्द कर दिया गया।

अदालत ने 1951 के अधिनियम की उन धाराओं को, जो अधिसूचनाओं द्वारा मंदिरों के अधिग्रहण की अनुमति देती थीं, साथ ही 1926 के अधिनियम की समकक्ष धाराओं को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप, मद्रास सरकार को लगभग 50 प्रमुख मंदिरों के प्रशासन से बाहर हो जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

1954 शिरूर मठ निर्णय

1954 के शिरूर मठ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के मद्रास अधिनियम में अधिसूचना धाराओं को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। मद्रास सरकार, जो 1951 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 50 प्रमुख मंदिरों से बाहर नहीं आई थी, को कम से कम 1954 के शिरूर मठ के फैसले के बाद, इन मंदिरों को उन समुदायों को सौंप देना चाहिए था जो उनके अधिग्रहण से पहले उनका प्रशासन कर रहे थे। ऐसा भी नहीं हुआ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है; सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा-

(ए) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना;

(बी) धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए;

(सी) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना; और

(दी) ऐसी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार करना।


यहां जिस बात पर प्रकाश डालने की जरूरत है,



वह है तमिलनाडु सरकार द्वारा शिरूर मठ आदेश सहित 70 वर्षों से अधिक समय से मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की लगातार अवमाननापूर्ण अवज्ञा। 1956 में, बिना किसी शर्म या नैतिक संदेह के, राज्य सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 3069 द्वारा अधिसूचनाओं को "विस्तारित" किया (जो अधिसूचना अनुभागों को शून्य घोषित किए जाने पर अस्तित्वहीन हो गई)। इस जी.ओ. को बिना किसी सफलता के चुनौती दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष। इस बीच, मद्रास सरकार ने 1959 में एक नया अधिनियम बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक ठहराई गई धाराओं को फिर से लागू किया गया और आज तक लागू है।


उच्चतम न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने अपने आदेश दिनांक 10.02.1965 द्वारा 1956 के उक्त जी.ओ. 3069 को रद्द कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने 1959 अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा कि "किसी भी अदालत के किसी भी फैसले" के बावजूद अधिसूचनाएँ अगले एक वर्ष तक जारी रहेंगी। दिसंबर 1993 में, मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि ये संशोधन केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को विफल करने के लिए किए गए थे और इन्हें अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। इस आदेश के विरुद्ध अपील 27.02.2002 को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

हालाँकि, अदालतों के इन सभी स्पष्ट निर्णयों के बाद भी, आज तक तमिलनाडु सरकार ने 1951 से पहले अपने कब्जे में लिए गए 50 अधिसूचित मंदिरों का नियन्त्रण नहीं छोड़ा है। यह न केवल अपमानजनक है, बल्कि हिंदू भक्तों के मौलिक अधिकारों के साथ लगातार धोखाधड़ी है।



संविधान का हिंदी संस्करण

1987 में, संसद ने संविधान के हिंदी संस्करण को अपनाया और आगे संविधान में अनुच्छेद 394-ए लाया जिसके द्वारा दोनों संस्करणों को समान अर्थ और महत्व वाला घोषित किया गया। हिंदी संस्करण में, हमें "प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय" शब्द के अंग्रेजी समकक्ष के रूप में मिलता है। राज्य सरकारों को, धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित अपने कानूनों में, हिंदुओं के लिए "धार्मिक संप्रदाय" शब्द को संविधान के हिंदी संस्करण में पाए गए अर्थ के अनुसार परिभाषित करना चाहिए - ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उधार नहीं लेना चाहिए। इससे सिखों, जैनियों और बौद्धों सहित हिंदुओं को उनके मौलिक धार्मिक अधिकार और उनके संस्थानों को प्रशासित करने का अधिकार मिल सकेगा, लेकिन 36 साल बाद भी ऐसा नहीं किया गया है, जो राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और यहां तक कि अदालतों द्वारा सभी हिंदू समुदायों के साथ धोखाधड़ी जारी है।




धोखाधड़ी और कुप्रबंधन

तमिलनाडु के हिंदू इस तरह की सरकारी धोखाधड़ी के परिणामों से बेखबर हैं। आज, लगभग 400 तमिलनाडु मंदिर सरकारी कार्यकारी अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तमिलनाडु एवं एंड सीई अधिनियम, 1959 के किसी भी सक्षम प्रावधान के तहत उन्हें नियुक्त करने के लिए जारी किए गए कानूनी रूप से स्थायी आदेश के बिना। श्री रामनाथस्वामी के लिए कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। मंदिर, रामेश्वरम या श्री कपालीश्वर मंदिर, मायलापुर, चेन्नई या श्री थायुमानस्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्ली के लिए। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा 70 वर्षों से अधिक समय से जारी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के उदाहरण मात्र हैं।

यह संविधान के अनुच्छेद 31-ए(1)(बी) के प्रावधानों की भी पूरी तरह से अवहेलना है, जो कहता है कि केवल संपत्ति के प्रबंधन के अधिग्रहण की सीमित अवधि प्रदान करने वाले कानून ही मान्य होंगे।

ऐसा अनुमान है कि हिंदू मंदिरों और बंदोबस्ती की 50,000 एकड़ से अधिक मूल्यवान भूमि सरकारी प्रशासन के तहत गायब हो गई है। मंदिरों का ऑडिट कोई बाहरी ऑडिट नहीं है। यह ये हिंदू स्थान थे जो अब 'धर्मनिरपेक्ष' या यहां तक कि हिंदू विरोधी स्थान बन गए हैं। 6000 करोड़ प्रति वर्ष, हिंदू मंदिर की संपत्ति केवल रु सरकारी प्रबंधन के तहत 200 करोड़। इस रूपये को इकट्ठा करने के लिए 200 करोड़, वार्षिक प्रशासन शुल्क लगभग रु 270 करोड़ और ऑडिट फीस रु. सरकार मंदिरों से 90 करोड़ रूपये एकत्र करती है, जो मंदिर की आय का 12 प्रतिशत प्रशासन शुल्क और 4 प्रतिशत ऑडिट शुल्क के रूप में लेती है। राज्य सरकार के एक विंग द्वारा एक आंतरिक ऑडिट है जिसके पेरोल पर शून्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लगभग 1.8 मिलियन ऑडिट आपत्तियाँ वर्ष 1986 से सुधार के लिए लंबित हैं। करीब तीन लाख रूपये का नुकसान हुआ। तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों, मठों और बंदोबस्ती को एक वर्ष में 6000 करोड़ रूपये देने से 10 वर्षों में कम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। यह हिंदू नागरिकों को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने से वंचित कर दी गई एक बड़ी राशि है। संभावित वार्षिक आय हजारों हिंदू बच्चों को सनातन धर्म मूल्यों के साथ मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकती है। पूरे तमिलनाडु में हिंदुओं को मंदिरों और मठों द्वारा संचालित अस्पतालों और क्लीनिकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल मुफ्त मिलेगी।

क्या यह स्थिति उन अल्पसंख्यक धर्मों की मदद के लिए बनाई गई है जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाते हैं? हिंदू समुदाय को इस संभावना पर गंभीरता से विचार करने और तदनुसार कार्य करने की आवश्यकता है।



SSC-GD

GUARANTEE BATCH

**CLASS TIME
8AM TO 6 PM**

**FEES
AFTER
SELECTION**

**i-Care Coaching Centre, gali no.1,
Rishi Nagar, Bus Stand, Hisar**

99969 94495, 87086 76942

i-Care

जहां आपकी सफलता की हो देखभाल.....





Asian Games में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, कुल 107 पदक मिले।

रवि रंजन कुमार
सह- संपादक

5 संस्करण में भारत ने पदकों का शतक पूरा किया और कुल 107 पदक जीते। भारत के लिए हांगझोऊ में महिला शूटिंग टीम ने 24 सितंबर को पदक का खाता खोला था और पुरुष शतरंज टीम ने आखिरी पदक जीता। भारत को तीरंदाजी और एथलीट में मिले पदकों ने भारत

के 100 पदक पूरे करने में अहम योगदान दिया। भारतीय दल ने हांगझोऊ में एशियाई खेल 2023 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारत ने पहला पदक 24 सितंबर को जीता था और लगातार पदक आते रहे। भारत ने 107 पदक के साथ अपना अभियान खत्म किया। पहली बार भारत ने अपना शतक पूरा किया। 2018 एशियाई खेलों में भारतीय दल ने 570 सदस्यीय मजबूत दल से 70 पदक अर्जित करके एशियाड में अपना सबसे ज्यादा पदक का रिकॉर्ड बनाया था। इस संस्करण में, भारतीय टीम को अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर लिया। पहली बार भारत ने 100 से ज्यादा पदक हासिल किए। जानिए भारत के लिए कब किस एथलीट ने पदक जीता। भारत के लिए अब तक 19वें एशियाई खेलों में इन एथलीट्स ने जीते पदक:

1. निशानेबाजी, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम: मेहुली घोष, रमिता और आशी चौकसे की शूटिंग टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद रजत पदक जीता। उन्होंने 1886 का कुल स्कोर बनाया।
2. रोड़ंग मेंस डबल्स स्कल्ल्स: अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्ल्स में रजत पदक जीता।
3. रोड़ंग, मेंस पेयर: लेख राम और बाबू लाल यादव की जोड़ी ने तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक अपने नाम किया।
4. रोड़ंग, मेंस एट: रोड़ंग में पदक का सिलसिला जारी रखते हुए भारत ने इस बार पुरुषों की आठ स्पर्धा में एक और रजत पदक जीता।
5. निशानेबाजी, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत: महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली रमिता जिंदल ने 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में 230.1 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता।
6. निशानेबाजी, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम: दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्रांक्ष पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने 2023 एशियाई खेलों

में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 1893.7 के स्कोर के साथ, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में एक टीम के लिए मौजूदा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया।



7. रोइंग, मेंस कॉक्सलेस फोर: जसविंदर सिंह, भीम सिंह, पुनीत और आशीष कुमार की चौकड़ी ने पुरुषों की चार स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया और कांस्य जीता।

8. रोइंग, पुरुष क्वाड्रप्ल एक्सलेस फोर: भारत ने रोइंग में कांस्य पदक जीता। सतनाम, परमिंदर, जाकर और सुखमीत की चौकड़ी फाइनल में 3:6.08 मिनट के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही।

9. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत: शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भारत को एशियाई खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

10. पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम: आदर्श सिंह, अनीश भानवाला और विजयवीर सिंह की टिकड़ी ने 1718 के कुल स्कोर के साथ भारत को कांस्य पदक दिलाया।

11. महिला क्रिकेट: भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह पहला मौका था, जब भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में भाग लिया। पहले प्रयास में ही टीम इंडिया स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही है।



12. नाविक नेहा ठाकुर: 17 वर्षीय नाविक नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीता। उन्होंने लड़कियों की डिंगी ILCA4 स्पर्धा में 11 रेसों में कुल 27 अंकों हासिल किए।

13. नाविक इबाद अली: इबाद अली ने नौकायन में कांस्य पदक जीता। वह पुरुषों की विंडसर्फर आरएस एक्सलेस स्पर्धा में 52 के नेट स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

14. घुड़सवारी टीम: हृदय छेदा, दिव्यकृति सिंह, अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला की भारतीय मिश्रित टीम ने 209.205 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता।

15. 50 मीटर श्री पोजिशन राइफल टीम, सिप्त, मानिनी और आशी: भारतीय शूटिंग टीम ने रजत पदक पर निशाना साधा है। भारत ने 50 मीटर श्री पोजिशन की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। सिप्त कौर समरा, आशी चौकसे और मानिनी कौशिक की टीम चीन के जिया सियू, हान जियायु और झांग कियोनग्यू के बाद दूसरे स्थान पर रही। इस बीच सिप्त दूसरे स्थान (594-28x) के साथ फाइनल में पहुंची, आशी ने भी छठे स्थान (590-27x) के साथ फाइनल में जगह बनाई। मानिनी (580-28x) के स्कोर के साथ 18वें स्थान पर रहीं।

16. 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा, मनु, ईशा और रिदम: भारतीय शूटिंग टीम ने आज का दूसरा पदक भी दिलाया है। भारत ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है! उन्होंने चीन को तीन अंकों से हराया! भाकर ने राउंड की शुरुआत दो अंकों की बढ़त के साथ की और जैसे-जैसे राउंड आगे बढ़ा, उन्होंने इसे तीन अंकों तक बढ़ा दिया। वह क्वालीफाइंग में भी शीर्ष पर रहीं और व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में 5वें स्थान पर रहीं ईशा सिंह के साथ शूटिंग करेंगी।

17. 50 मीटर श्री पोजिशन राइफल व्यक्तिगत, सिप्त कौर (स्वर्ण): शूटिंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। सिप्त कौर ने 50 मीटर श्री पोजिशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में 10.2 अंक हासिल कर आसानी से स्वर्ण पदक जीत लिया। सिप्त कौर एशियाई खेल 2023 में एकल प्रतिस्पर्धा में भारत को स्वर्ण दिलाने वाली पहली एथलीट हैं। सिप्त ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने 469.6 का स्कोर किया जो कि पिछले रिकॉर्ड से 2.6 अधिक है।

18. 50 मीटर श्री पोजिशन राइफल व्यक्तिगत, आशी चौकसे (कांस्य): 50 मीटर श्री पोजिशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिप्त जहां पहले स्थान पर रहीं, वहीं ईशी प्रतियोगिता में आशी चौकसे ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

19. भारतीय पुरुष स्कीट शूटिंग टीम, अंगद, गुरजोत, अनंत: भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने कांस्य पदक जीता। अंगद बाजवा, गुरजोत सिंह खंगुरा और अनंत जीत सिंह नरुका की टिकड़ी ने कुल मिलाकर 355 अंक बनाए और फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें कांस्य मिला।

20. नौकायन डिंगी ILCA 7 पुरुष, विष्णु सरवनन (कांस्य): विष्णु सरवनन ने पुरुषों की डिंगी ILCA 7 में 34 के नेट स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता।

21. महिला 25 मीटर पिस्टल, ईशा सिंह (रजत): शूटिंग में ईशा सिंह ने रजत पदक पर कब्जा जमाया है। उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में 34 का स्कोर किया और दूसरे स्थान पर रहीं।

22. शॉटगन स्कीट, पुरुष, अनंतजीत सिंह (रजत): अनंत नाकुरा ने पुरुषों की शॉटगन स्कीट में रजत पदक जीता। अनंत ने 60 प्रयासों में से 58 सही निशाने लगाए।

23. वूशु सांडा, महिला, रोशिबिना देवी (रजत): रोशिबिना देवी ने महिलाओं की 60 किग्रा वूशु सांडा में रजत पदक जीता है।

24. पुरुष, 10 मीटर एयर पिस्टल (स्वर्ण): सरबजोत सिंह, अर्जुन चीमा और शिव नरवाल की पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने चीन को एक अंक से हराया। भारत ने 1734 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।

25. घुड़सवारी, व्यक्तिगत ड्रेसेज, (कांस्य): अनुश और उनका घोड़ा एट्रो व्यक्तिगत ड्रेसेज में तीसरे स्थान पर रहे और 73.030 का स्कोर हासिल कर कांस्य पदक जीता।



26. शूटिंग- 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ईशा सिंह, पलक और दिव्या ने कमाल कर दिया। तीनों ने देश को एशियाई खेलों के मौजूदा संस्करण का 26वां पदक दिलाया। ईशा सिंह, पलक और दिव्या की टीम 1731-50X के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। चीन की रैकिसंग, ली और नान की जोड़ी ने स्वर्ण पर कब्जा किया।

27. शूटिंग- ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वनिल और अखिल की टिकड़ी ने कमाल कर दिया। तीनों ने मिलकर 50 मीटर राइफल 3 पॉजिशन पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। तीनों मिलकर 1769 का स्कोर किया। चीन के लिंशू हाओ और जिया मिंग की जोड़ी को रजत पदक मिला। वहीं, कोरिया के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

28. टेनिस- टेनिस के पुरुष युगल स्पर्धा में भारत को एक रजत पदक मिला है। साकेत मादनेनी और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी फाइनल में हार गई। दोनों को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। साकेत और रामकुमार को चीनी ताइपे के जेसन और यू-हसिउ ने मिलकर सीधे सेटों में हारा दिया।

29 और 30. शूटिंग- महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पलक ने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। वहीं, ईशा सिंह ने रजत पदक पर कब्जा किया।



पाकिस्तान की किश्माला तलत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पलक ने 242.1 और ईशान ने 239.7 का स्कोर किया। वहाँ, किश्माला ने 218.2 का स्कोर किया।

31. स्क्वैश- भारतीय महिला स्क्वैश टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में उसे हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अनहत सिंह आखिरी मैच में ली के खिलाफ 10-12 से हार गई। इससे पहले तन्वी खन्ना को हार मिली थी। जोशना चिनप्पा ने दूसरे मैच को जीतकर भारत को बराबरी पर ला दिया था, लेकिन अनहत की हार ने टीम को फाइनल में नहीं पहुंचने दिया।

32. शूटिंग- ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने टीम इवेंट में जीत हासिल करने के बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन पुरुष फाइनल में रजत पदक जीता। ऐश्वर्य ने 459.7 अंक हासिल किए।

33. ट्रैक एंड फिल्ड, किरण बालियान (शॉटपुट): किरण बालियान ने शॉटपुट यानी गोला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 17.36 मीटर के श्रो के साथ पदक जीता। यह एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फिल्ड में भारत का पहला पदक है। मेरठ की किरण बालियान ने ट्रैक एंड फिल्ड में भारत का खाता खोला।

34. शूटिंग, मिश्रित युगल, 10 मीटर एयर पिस्टल: सरबजोत और दिव्या की जोड़ी ने रजत पदक जीता। फाइनल मैच चीन ने 16-14 के अंतर से मैच अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में शूटिंग में यह भारत के लिए आठवां रजत पदक है।

35. टेनिस, मिश्रित युगल, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले (स्वर्ण): मिश्रित युगल टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के लिए 2002 एशियाई खेलों के बाद से इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला जारी है। रोहन बोपन्ना अब दो बार के एशियाई खेल चैंपियन हैं! उन्होंने 2018 में दिविज शरण के साथ पुरुष युगल जीता था।

36. स्क्वैश, पुरुष टीम (स्वर्ण): स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2014 के बाद भारतीय टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में यह पदक जीता है। 18 साल के अभ्यं सिंह ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और तीसरा मैच जीत भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले सौरव घोषाल ने मैच में मुहम्मद आसिम खान को हराया था, जबकि महेश मनगांवकर को नासिर इकबाल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

37 और 38. एथलेटिक्स, 10000 मीटर रेस (रजत और कांस्य): पुरुषों के 10000 मीटर रेस में भारत के कार्तिक और गुलबीर ने इतिहास रच दिया है। कार्तिक ने 28:15.38 की टाइमिंग के साथ रजत पदक और गुलबीर ने 28:17.21 की टाइमिंग के साथ कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फिल्ड में हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारत ने तीन पदक जीत लिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को किरण बालियान ने शॉटपुट में कांस्य पदक जीता था। इन दो पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 38 हो गई है।

39. गोल्फ, अदिति अशोक (रजत): गोल्फ में महिलाओं की प्रतियोगिता में अदिति अशोक ने रजत पदक अपने नाम किया। वह शुरुआत से स्वर्ण पदक जीतने की दावेदार थीं, लेकिन अंत में उन्होंने बेहद साधारण प्रदर्शन किया और उन्हें रजत से ही संतोष करना पड़ा।

40. शूटिंग, महिला ट्रैप टीम (रजत): महिला ट्रैप टीम ने रजत पदक जीता है। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक ने 337 का स्कोर किया। चीन की टीम ने 355 का स्कोर कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

41. शूटिंग, पुरुष टीम (स्वर्ण): पुरुषों की ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में किनान चेनाई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज टोंडिमान की टीम ने कुवैत और चीन से काफी आगे रहते हुए 361 का स्कोर किया और स्वर्ण पदक जीता।

42. ट्रैप शूटिंग, पुरुष (कांस्य): पुरुषों की ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में किनान चेनाई ने कांस्य पदक जीता है। वह 40 में से 32 शॉट निशाने पर लगाने में सफल रहे।

43. मुक्केबाजी, महिला, निकहत जरीन (कांस्य): मुक्केबाजी में महिलाओं के 50 किलोग्राम भारवर्ग में निकहत जरीन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। निकहत विश्व चैंपियन हैं और उनसे स्वर्ण की उम्मीद थी, लेकिन वह सेमीफाइनल में हार गई।

44. 3000 मीटर स्टीपलचेज, अविनाश साबले (स्वर्ण): पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज प्रतियोगिता में अविनाश साबले ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 8:19:53 मिनट का समय निकाला।

45. गोला फेंक, तजिंदरपाल सिंह तूर (स्वर्ण): तजिंदरपाल सिंह तूर ने भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। वह लगातार दूसरे एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने में सफल हुए हैं। तजिंदर ने 2018 जाकार्ता एशियाई खेलों में भी पहला स्थान हासिल किया था।

46. महिला 1500 मीटर दौड़- हरमिलन बैंस (रजत पदक): महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में भारत को हरमिलन बैंस ने रजत पदक दिलाया। वह दूसरे स्थान पर रहीं। बहरीन की विनफ्रेड मुटिले यावी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया।

47 और 48. पुरुष 1500 मीटर दौड़- अजय कुमार सरोज (रजत पदक) और जिनसॉन जॉनसन (कांस्य पदक): पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में भारत को दो पदक मिले। अजय कुमार सरोज ने रजत पदक पर कब्जा किया। वहीं, जिनसॉन जॉनसन ने उनसे पीछे रहे और उन्हें कांस्य से संतोष करना पड़ा। कतर के मोहम्मद अल गरसी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

49. लॉन्ग जंप- मुरली श्रीशंकर (रजत पदक)- मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। श्रीशंकर ने 8.19 मीटर का जंप लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन के बांग जिआनान 8.22 मीटर की जंप के साथ पहले स्थान पर रहे।

50. हेप्टाथेलॉन- (नंदिनी अगासारा, कांस्य पदक)- नंदिनी अगासारा ने 800 मीटर हेप्टाथेलॉन में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने इस स्पर्धा के फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। उन्होंने 2:15:33 का समय लिया।

51. डिस्कस थ्रो- (सीमा पूनिया, कांस्य पदक)- डिस्कस थ्रो में भारत की सीमा पूनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 58.62 मीटर दूर थ्रो फेंककर कांस्य पदक जीता। चीन की बिंग फेंग ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं, जियांग छिचाओ ने रजत पर कब्जा किया।



52. 100 मीटर बाधा दौड़- (ज्योति याराजी, रजत पदक)- भारत की एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर हॉर्डल रेस में रजत पदक जीता। वह 12.91 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही थीं, लेकिन दूसरे पायदान रहने वाली चीन की खिलाड़ी वू यानी को डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। इस तरह याराजी का पदक कांस्य से रजत में बदल गया।

53. बैडमिंटन- (पुरुष टीम, रजत पदक)- भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम स्वर्ण पदक से चूक गई। फाइनल में उसका सामना मजबूत चीन से था। चीन ने फाइनल में भारत को 3-2 से हरा दिया। भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टीम इंडिया ने इस स्पर्धा में 37 साल बाद कोई पदक जीता है। यह पहली बार है जब भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियाड में रजत जीता है।

54. स्केटिंग, 3000 मीटर, (महिला टीम, कांस्य पदक): संजना भुट्टुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु और आरती कस्तूरी ने महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अपने रेस 4:34:861 मिनट में पूरी की।

55. स्केटिंग, 3000 मीटर, (पुरुष टीम, कांस्य पदक): भारत के आर्यनपाल घुमन, आनंदकुमार वेलकुमार, सिद्धांत कांबले, विक्रम इंगले 4:10.128 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे और कांस्य पदक जीता। चीनी ताइपे ने स्वर्ण, दक्षिण कोरिया ने रजत पदक जीता।

56. टेबल टेनिस, महिला टीम (कांस्य): अहकिया मुखर्जी और सुतीर्था की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया की पाक और चा के खिलाफ 11-7, 8-11, 11-7, 8-11, 9-11, 11-5, 2-11 से हार झेलनी पड़ी।

57 और 58. 3000 मीटर स्टीपलचेज, महिला, पारुल (रजत) प्रीति (कांस्य): 3000 मीटर स्टीपलचेज में भारत की पारुल चौधरी ने रजत और प्रीति ने कांस्य जीता है। पारुल ने 9:27.63 सेकंड और प्रीति ने 9:43.32 सेकंड में अपनी रेस पूरी की।

59. लॉन्ग जंप, महिला, एनसी सोजन (रजत): भारत की महिला एथलीट एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 6.63 मीटर दूर छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।

60. 4 x 400 मीटर मिक्स्ड टीम दौड़ (रजत): भारत को 4 x 400 मीटर मिक्स्ड टीम दौड़ में रजत पदक मिला। मिक्स्ड टीम के खिलाड़ी मोहम्मद अजमल, विद्या रामराज, राजेश रमेश और शुभा वेंकटेशन ने मिलकर तीसरा स्थान हासिल किया, लेकिन दूसरे स्थान पर रहने वाली श्रीलंकाई टीम को डिस्क्वालिफाई कर दिया। इस तरह भारतीय टीम दूसरे स्थान पर आ गई। उसका पदक कांस्य से रजत हो गया।

61. नौकायन, पुरुष टीम (कांस्य): अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने पुरुषों के कैनो डबल 1000 फाइनल में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में 3.53.329 के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

62. मुक्केबाजी, प्रीति, (कांस्य): मुक्केबाजी में महिलाओं के 54 किलोग्राम भारवर्ग में प्रीति ने कांस्य पदक जीता है। चीन की युआन चैंग के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एशियाई खेलों में उनका सफर खत्म हो गया। हालांकि, वह कांस्य पदक और पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने में सफल रहीं।

63. महिला 400 मीटर बाधा दौड़, विद्या रामराज, (कांस्य): विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत को एक और पदक दिला दिया है। उन्होंने 55.68 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रहीं और कांस्य पदक अपने नाम किया। बहरीन की अदेकोया ने 54.45 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण जीता। यह एशियन गेम्स का नया रिकॉर्ड भी है। वहीं, चीन की जियादी मो ने 55.01 सेकंड का समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया।

64. महिला 5000 मीटर दौड़, पारुल चौधरी, (स्वर्ण): भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। यह एशियाई खेलों में महिलाओं

की 5000 मीटर दौड़ में भारत का पहला स्वर्ण है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है।

65. पुरुष 800 मीटर दौड़, मोहम्मद अफजल (रजत): भारत के मोहम्मद अफजल ने पुरुषों के 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। उन्होंने 1:48:43 मिनट का समय लिया। आखिरी कुछ मीटर में सऊदी अरब के एसा अली ने उन पर लीड ले ली और वह स्वर्ण से चूक गए। भारत के कृष्ण कुमार पांचवें स्थान पर रहे।

66. पुरुष ट्रिप्पल जंप, प्रवीण चित्रावेल (कांस्य): प्रवीण चित्रावेल ने पुरुषों की ट्रिप्पल जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अपने छठे प्रयास में 16.68 मीटर की छलांग लगाई और तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहे। भारत के ही अबूबकर 16.62 मीटर की छलांग के साथ चौथे स्थान पर रहे।

67. पुरुष डेकेथलॉन, तेजस्विन शंकर (रजत): भारत के तेजस्विन शंकर ने रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने डेकेथलॉन में यह कामयाबी हासिल की। इस



स्पर्धा में 10 अलग-अलग खेल खेले जाते हैं। दो दिन तक यह मुकाबला चलता है। भारत ने इस स्पर्धा में 1974 के बाद कोई पदक जीता है। 1974 में विजय सिंह चौहान ने स्वर्ण और सुरेश बाबू ने कांस्य जीता था।

68. महिला भाला फेंक, अनू रानी (स्वर्ण): अनू रानी ने इतिहास रच दिया। एशियाड की महिलाओं की भाला-फेंक स्पर्धा में अनू ने स्वर्ण जीता। अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंका। श्रीलंका की नदीशा दिलहान ने रजत पदक जीता।

69. पुरुष मुक्केबाजी, नरेंद्र बेरवाल (कांस्य): भारत के लिए नरेंद्र बेरवाल ने +92 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। नरेंद्र का पेरिस ओलंपिक में भी स्थान पक्का हो गया है।

70. 35 किमी दौड़, मिश्रित टीम, मंजू रानी और राम बाबू (कांस्य): मंजू रानी और राम बाबू की जोड़ी ने मिश्रित 35 किलोमीटर दौड़ में

71. तीरंदाजी, मिश्रित टीम, ओजस और ज्योति, (स्वर्ण पदक): तीरंदाजी में ओजस देवताले और ज्योति वेन्नम ने कंपांड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की टीम को 159-158 से हराया।

72. स्कॉर्च, मिश्रित टीम, अनहत और अभय, (कांस्य): स्कॉर्च में भारत की अनहत-अभय की जोड़ी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में मलयेशिया की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 11-8, 2-11, 9-11 से हराया।

73. मुक्केबाजी, प्रवीण हुड्डा (कांस्य): मुक्केबाजी में प्रवीण हुड्डा को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिलाओं के 57 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल मैच में उन्हें चीनी ताइपे की लिन के खिलाफ हार झेलनी पड़ी।

74. मुक्केबाजी, लवलीना बोरगोहेन (रजत): महिलाओं के 75 किलोग्राम भारवर्ग में लवलीना बोरगोहेन के रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा है। फाइनल मुकाबले में वह चीन की ली से हार गई। शुरुआती राउंड में दोनों के बीच कांट की टक्कर थी। हालांकि, बाकी दोनों राउंड में चीनी खिलाड़ी ने बेहतर खेल दिखाया और मुकाबला आसानी से अपने नाम किया।

75. कुश्ती, सुनील कुमार, (कांस्य): ग्रीको रोमन स्टाइल में पुरुषों के 87 किलोग्राम भारवर्ग के मैच में किर्गिस्तान के अताबेक को मात दी।

76. 400 मीटर रेस, हरमिलन बैंस, (रजत): हरमिलन बैंस ने 800 मीटर में रजत पदक जीता। एक दिन पहले 1500 मीटर में रजत जीतने के बाद उन्होंने एशियाई खेल में दूसरा रजत पदक हासिल किया। हरमिलन ने 2.03.75 मीटर में अपनी रेस पूरी की।

77. 5000 मीटर दौड़, अविनाश साबले, (रजत): अविनाश साबले ने 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। उन्होंने इससे पहले 3000 मीटर स्टीपलचेज में स्वर्ण पदक जीता था।



78. 400 मीटर रिले रेस, महिला टीम (रजत): भारतीय महिला टीम ने 400 मीटर रिले रेस में रजत पदक जीता है। भारत पिछले छह बार से इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीत रहा था। हालांकि, इस बार भारत को रजत के साथ ही संतोष करना पड़ा। विथ्या रामराज, ऐश्वर्या मिश्रा, प्राची, सुभा वैंकेटेशन की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया।

79 और 80. भाला फेंक नीरज चोपड़ा और किशोर जेना (स्वर्ण और रजत): एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए हैं। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर जेना ने रजत पदक अपने नाम किया है। यह पहला मौका है, जब भालाफेंक में स्वर्ण और रजत दोनों पदक भारत को मिले हैं।

81. 400 मीटर रिले रेस, पुरुष टीम (स्वर्ण): भारतीय पुरिष टीम ने 400 मीटर रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने 3:01.58 मिनट में अपनी रेस पूरी कर स्वर्ण पर कब्जा जमाया। मुहम्मद अनस, अमोज जैकब, मुहम्मद अजमल और राजेश रमेश की जोड़ी ने स्वर्ण जीता।

82. कंपाउंड तीरंदाजी, महिला टीम (स्वर्ण): महिला कंपाउंड तीरंदाजी में अदिति, ज्योति और परनीत की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को 230-228 के अंतर से हराया।

83. स्क्वैश, मिश्रित टीम (स्वर्ण): स्क्वैश की मिश्रित टीम स्पर्धा में दीपिका और हरिंदर ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने आइफा आजमान और मोहम्मद की मलेशियाई जोड़ी को 11-10, 11-10 से हराया।

84. कंपाउंड तीरंदाजी, पुरुष टीम (स्वर्ण): कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश समाधान की टीम ने दक्षिण कोरिया को 235-230 के अंतर से हराया है।

85. स्क्वैश, पुरुष एकल, (रजत): स्क्वैश में पुरुष एकल में सौरव घोषाल फाइनल में हार गए और उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। मलेशिया के ईन ने उन्हें 9-11, 11-9, 11-5, 11-6 से हराया।

86. कुश्ती, अंतिम पंधाल (कांस्य): भारत की अंतिम पंधाल ने मंगोलिया की बोलोरतुया बात-ओचिर को हराकर कांस्य पदक जीता। एशियाई खेल 2023 में महिला कुश्ती में यह भारत का पहला पदक है।

87. तीरंदाजी, महिला रिकर्व टीम, (कांस्य): महिला टीम रिकर्व तीरंदाजी में अंकिता भक्त, सिमरनजीत कौर, भजन कौर ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने वियतनाम को मात देकर पदक अपने नाम किया।

88. बैडमिंटन, पुरुष एकल, एचएस प्रणय (कांस्य): एचएस प्रणय को पुरुषों के सेमीफाइनल में चीन के ली शिफेंग के खिलाफ 21-16, 21-9 से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

89. सेपक टकरा, महिला टीम (कांस्य): सेपक टकरा में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम को थार्लैंड के खिलाफ 21-10, 21-13 से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने महिलाओं की रेगु स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

90. रिकर्व तीरंदाजी, पुरुष टीम, (कांस्य): भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल मैच में अतानु, तुषार और धीरज की भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा।

91. कुश्ती, सोनम (कांस्य): कुश्ती में सोनम ने महिलाओं के 62 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने चीन की लॉन्ग जिया को हराकर पदक अपने नाम किया।

92. कुश्ती, किरण (कांस्य): महिला कुश्ती के 76 किलोग्राम भारवर्ग फ्रीस्टाइल स्पर्धा में भारत की किरण बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने मंगोलियाई पहलवान अरिउनजर्गाल गनबत को 6-3 से शिकस्त दी।

93. कुश्ती, किरण (कांस्य): कुश्ती में भारत को पदक मिलने का सिलसिला जारी है। अब 20 साल के अमन ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर चीन के मिंगु लियू को 11-0 से हराया।

94. ब्रिज, पुरुष टीम (रजत): ब्रिज में भारतीय टीम ने रजत जीता है। जग्मी शिवदासानी, राजेश्वर तिवारी, संदीप ठकराल, राजू तोलानी, अजय खरे और सुमित मुखर्जी की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक पर कब्जा किया।

95. हॉकी, पुरुष टीम, (स्वर्ण): भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हराया और स्वर्ण पर कब्जा किया।

96. कंपाउंड तीरंदाजी, महिला, अदिति स्वामी (कांस्य): महिला तीरंदाजी की एकल प्रतियोगिता में अदिति ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पहली बार एशियाई खेलों में भाग ले रही अदिति ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इंडोनेशिया की रतिह फदली के खिलाफ 146-140 के अंतर से जीत दर्ज की।





97. कंपाउंड तीरंदाजी, महिला, ज्योति सुरेखा (स्वर्ण): महिला कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने एशियाई खेलों में रिकॉर्ड बनाते हुए 149-145 के अंतर से फाइनल मैच अपने नाम किया। उन्होंने दक्षिण कोरिया की सो सी को हराया।

98 और 99. कंपाउंड तीरंदाजी, पुरुष (स्वर्ण और रजत): कंपाउंड तीरंदाजी में भारत को दो पदक मिले हैं। ओजस देवतले ने स्वर्ण और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता है। फाइनल में दोनों भारतीय तीरंदाजों के बीच मुकाबला था। ऐसे में देश को दोनों पदक मिलने तय थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोनों को पदक का रंग तय करना था। ओजस ने 149 के स्कोर के साथ स्वर्ण और अभिषेक ने 147 का स्कोर कर रजत जीता।

100. कबड्डी, महिला टीम, (स्वर्ण): महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने फाइनल में चीनी टाइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह एशियाई खेल 2023 में भारत का 25वां स्वर्ण और कुल 100वां पदक है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में 100 पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने अबकी बार 100 पारी का नारा सच कर दिखाया है।



101. बैडमिंटन, सात्विक-चिराग (स्वर्ण): बैडमिंटन के पुरुष युगल में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। इस जोड़ी ने पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अब एशियाई खेलों में भी इन दोनों ने इतिहास रच दिया है।

102. क्रिकेट, पुरुष टीम (स्वर्ण): भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को भी स्वर्ण पदक मिला है। फाइनल मैच में भारत का सामना अफगानिस्तान के साथ था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.5 ओवर में पांच विकेट खोकर 112 रन बनाए थे। इसके बाद बारिश के कारण आगे का खेल नहीं हो सका और बेहतर वरीयता के आधार पर भारत को विजेता घोषित कर दिया गया।

103. कबड्डी, पुरुष टीम (स्वर्ण): कबड्डी में भी भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने विवादों से भरे फाइनल मैच में ईरान को हराया है। भारत ने यह मैच 33-29 से अपने नाम किया।

104. हॉकी, महिला टीम (कांस्य): भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 2-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत के लिए सुशीला चानू और दीपिका ने गोल किए।

105. कुश्ती, पुरुष फ्रीस्टाइल (रजत): कुश्ती में पुरुषों के 86 किलोग्राम भारवर्ग के मैच में भारत के दीपक पूनिया को ईरान के हसन यजादानी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। ईरानी खिलाड़ी ने तकनीकी वरीयता के आधार पर जीत हासिल की। इसके साथ ही दीपक को रजत के साथ संतोष करना पड़ा।

106. शतरंज, महिला टीम (रजत): महिलाओं में द्रोणवल्ली हरिका, रमेशबाबू वैशाली, वंतिका अग्रवाल और सविता भास्कर ने देश के लिए रजत जीता।

107. शतरंज, पुरुष टीम (रजत): चेस में भारत की पुरुष टीम को रजत पदक मिला है। विदित गुजराती, अर्जुन ईर्षेसी और पी हरिकृष्णा ने फिलीपींस के खिलाफ अपने-अपने राउंड 9 मैच जीते, जबकि आर प्रागनानंद ने अपना मैच ड्रा कराया।



सौर पूर्वानुमान की संभावना एवं विवेचना।



कल्याण सिंह
सहायक प्राध्यापक

पृ

थी पे जीवन एवं उससे जुड़ी हर कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें सबसे प्रमुख है जीवाश्म ईंधन जिसकी मदद से हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। परंतु यह सर्वविदित है कि जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, और इसके अलावा इस संसाधन की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस समस्या से बचने के लिए हमें ऊर्जा के दूसरे स्रोतों जैसे सौर, वायु एवं जल पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। जिसकी मदद से हम ऊर्जा के असिमित भंडार को मानव कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें तो आज पूरे भारत में बड़े एवं छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसे हम बिजली उत्पादन के काम में ले रहे हैं। सोलर ग्रिड कहां लगाया जाना चाहिए यह सरकार एवं प्राइवेट कंपनियों के लिए एक सरदर्द होता है क्योंकि एक अच्छा लोकेशन ढूँढ़ना अपने आप में काफी मुश्किल और जटिल प्रक्रिया होता है। सोलर ग्रिड स्थापित करने के प्रक्रिया में हमें सोलर इंटेंसिटी (सौर विकिरण) की ऊर्जा का पूर्वानुमान होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे पास उचित संसाधन ना होने के कारण सोलर ग्रिड में कुछ त्रुटि आ जाती हैं और उसकी क्षमता एवं उपयोगिता में कमी आ जाती है।

इसी समस्या को देखते हुए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुमित सरोहा एवं उनकी टीम ने इस विषय पे शोध शुरू किया और काफी परिश्रम के बाद उन्होंने एक ऐसी तकनीक तैयार किया जो कि सौर विकिरण की ऊर्जा का पूर्वानुमान बिना किसी त्रुटि के लगा सकता है। ये तकनीक जिसे न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सोलर इंट्रेडियंस फोरकारिंग यूजिंग हाइब्रिड वेवलेट ट्रांसफॉर्म एंड पीएसओ कहते हैं।

इस तकनीक में न्यूरल नेटवर्क जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सौर विकिरण एवं सोलर ग्रिड के सभी डाटा का सूक्ष्म विश्लेषण कर वेवफॉर्म के रूप में हमें आउटपुट देता है, जिसे वेवलेट ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस वेवफॉर्म का विश्लेषण करके हम सोलर रेडिएशन को स्टडी करते हैं। और सोलर ग्रिड लगाने के लिए उपयुक्त जगहों की तलाश कर सकते हैं। इस आधुनिक तकनीक से सबसे ज्यादा फायदा सरकार एवं प्राइवेट कंपनियों को होगा जो कि बड़े सोलर ग्रिड एवं सोलर पावर प्लांट स्थापित करते हैं, सोलर रेडिएशन के सूक्ष्म विश्लेषण से हम सोलर पावर प्लांट की क्षमता एवं उपयोगिता को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इससे पावर लॉस, एवं एर में भी काफी कमी आएगी।

उन्नत सौर विकिरण पूर्वानुमान की आवश्यकता सौर ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सौर विकिरण का पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है। अतीत में, पूर्वानुमान सटीकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों को नियोजित किया गया है। हालाँकि, इनमें से कई दृष्टिकोणों की सीमाएँ थीं। कुछ शोधकर्ताओं ने कच्चे डेटा में गैर-ऐकिता को कम करने के लिए केवल पूर्व-प्रसंस्करण तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य ने सबसे उपयुक्त मापदंडों का चयन करने के लिए अनुकूलन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, ये विधियाँ अक्सर सौर विकिरण का सटीक पूर्वानुमान लगाने में अपर्याप्त साबित होती हैं।

प्रस्तावित हाइब्रिड विधि

मौजूदा पद्धतियों की सीमाओं को दूर करने और पूर्वानुमान सटीकता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए, एक हाइब्रिड दृष्टिकोण विकसित किया गया है। यह विधि अधिक मजबूत और सटीक सौर विकिरण पूर्वानुमान मॉडल बनाने के लिए पूर्व-प्रसंस्करण और अनुकूलन तकनीकों को जोड़ती है।

प्रस्तावित हाइब्रिड विधि के प्रमुख घटक।

1. तरंगिका रूपांतरण

वेवलेट ट्रांसफॉर्म एक गणितीय उपकरण है जो इस हाइब्रिड विधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग मूल सौर विकिरण डेटा को विखंडित करने के लिए किया जाता है। यहां इसके महत्व का अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है:

- **डेटा डिकंस्ट्रक्शन:** सौर विकिरण डेटा में अक्सर जटिल पैटर्न और उत्तर-चढ़ाव होते हैं जिनका सीधे विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण होता है। वेवलेट ट्रांसफॉर्म इस डेटा को अधिक प्रबंधनीय घटकों के एक सेट में तोड़ देता है, जिससे छिपी हुई विशेषताओं और पैटर्न का पता चलता है। यह विखंडन समय के साथ सौर विकिरण में बदलाव को समझने के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है।

- **फ़िल्टर एक्स्ट्रैक्शन:** वेवलेट ट्रांसफॉर्म लागू करके, विधि डेटा के भीतर विशिष्ट समय-पैमाने घटकों की पहचान कर सकती है। यह सिस्टम को पूर्वानुमान के लिए सबसे प्रासंगिक जानकारी पर



ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और सटीक हो जाती है।

2. कण झुंड अनुकूलन (पीएसओ)

कण झुंड अनुकूलन इस पद्धति में नियोजित एक शक्तिशाली अनुकूलन एल्गोरिदम है। यह पूर्वानुमान मॉडल के लिए आवश्यक इनपुट मापदंडों के चयन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह ऐसे काम करता है:

पैरामीटर चयन: पीएसओ कणों के सामूहिक व्यवहार की नकल करने की अवधारणा के आधार पर संचालित होता है। इस संदर्भ में, यह पूर्वानुमान मॉडल में वजन और पूर्वांग्रह जैसे मापदंडों के मूल्यों को पुनरावृत्त रूप से परिष्कृत करता है। यह अनुकूलन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि चयनित पैरामीटर सटीक सौर विकिरण भविष्यवाणियों के लिए उपयुक्त हैं।

इष्टतम समाधान: पीएसओ की पैरामीटर स्पेस के माध्यम से खोज करने की क्षमता उसे पैरामीटर के इष्टतम सेट की खोज करने की अनुमति देती है जिसके परिणामस्वरूप सबसे सटीक पूर्वानुमान होता है। जटिल और अरेखीय डेटा से निपटने के दौरान यह दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रभावी होता है, जो अक्सर सौर विकिरण पूर्वानुमान में होता है।

3. फ़िड-फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क


फ़िड-फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पूर्वानुमान मॉडल के मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। इसे तरंगिका परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त सार्थक श्रृंखला और पीएसओ से अनुकूलित मापदंडों का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। यहां बताया गया है कि यह पूर्वानुमान प्रक्रिया में कैसे योगदान देता है:

पैटर्न पहचान: तंत्रिका नेटवर्क डेटा के भीतर जटिल पैटर्न और संबंधों को पहचानने में माहिर हैं। सौर विकिरण पूर्वानुमान के संदर्भ में, तंत्रिका नेटवर्क विखंडित डेटा से सीखता है और भविष्यवाणियां करने के लिए अनुकूलित मापदंडों का उपयोग करता है। यह इसे डेटा में जटिल निर्भरता को पकड़ने की अनुमति देता है जो पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके मॉडल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अनुकूलनशीलता: तंत्रिका नेटवर्क बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं और विभिन्न मौसमों के लिए पूर्वानुमान प्रदान कर सकते हैं। यह अनुकूलनशीलता यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि बदलते मौसम और दिन के उजाले की स्थिति के कारण सौर विकिरण में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, पूर्वानुमान मॉडल पूरे वर्ष सटीक और प्रासंगिक बना सके। डेटा संग्रह और मॉडल परीक्षण

प्रस्तावित हाइब्रिड विधि की मजबूती को सावधानीपूर्वक डेटा संग्रह और परीक्षण के माध्यम से मान्य किया गया है:

तीन-वर्षीय डेटासेट: राष्ट्रीय सौर विकिरण डेटाबेस से एकत्र किए गए 2012 से 2014 तक के तीन-वर्षीय डेटासेट का उपयोग करके विधि का परीक्षण किया जाता है। यह व्यापक डेटासेट सुनिश्चित करता है कि मॉडल सौर विकिरण पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला के संपर्क में है, जिससे व्यापक मूल्यांकन की अनुमति मिलती है।



प्रशिक्षण और परीक्षण: मॉडल को दो साल के डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है, और फिर एक वर्ष तक इसकी सटीकता का परीक्षण किया जाता है। एकल-चरण-आगे का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सौर विकिरण के पूर्वानुमान के लिए मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

मॉडल प्रदर्शन मूल्यांकन

प्रस्तावित हाइब्रिड पद्धति की सटीकता और प्रभावशीलता को दो प्रमुख मैट्रिक्स का उपयोग करके मापा जाता है:

माध्य निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि (एमएपीई): एमएपीई सौर विकिरण पूर्वानुमान में प्रतिशत त्रुटि की मात्रा निर्धारित करता है। कम एमएपीई इंगित करता है कि मॉडल की भविष्यवाणियां वास्तविक मूल्यों से काफी मेल खाती हैं, जो उच्च परिशुद्धता को दर्शाती है।

माध्य निरपेक्ष त्रुटि (एमएई): एमएई अनुमानित और वास्तविक मूल्यों के बीच पूर्ण अंतर की गणना करता है। कम एमएई का तात्पर्य है कि मॉडल सौर विकिरण की भविष्यवाणी करने में अधिक सटीक है।

परिणाम और निष्कर्ष

प्रस्तावित हाइब्रिड विधि अन्य पूर्वानुमान तकनीकों से बेहतर प्रदर्शन करती है, जिसमें नैवे प्रेडिक्टर, स्टैडलोन न्यूरल नेटवर्क मॉडल और कण झुंड अनुकूलन-आधारित न्यूरल नेटवर्क मॉडल शामिल हैं। यह डेटा डिकंस्ट्रक्शन, पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन और न्यूरल नेटवर्क मॉडलिंग के संयोजन के माध्यम से इस बेहतर प्रदर्शन को प्राप्त करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण अधिक सटीक सौर विकिरण पूर्वानुमान में योगदान देता है, जो सौर ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष में, हाइब्रिड विधि सौर विकिरण पूर्वानुमान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। तरंगिका परिवर्तन, पीएसओ और तंत्रिका नेटवर्क का लाभ उठाकर, यह सौर विकिरण की सटीक भविष्यवाणी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र समाधान प्रदान करता है। यह विधि न केवल परिशुद्धता में सुधार करती है बल्कि सौर विकिरण डेटा की जटिलता को भी संभालती है, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन और ग्रिड स्थिरता के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन जाती है।





सुमित सरोहा
सहायक प्राध्यापक

जानिए भारत के पेटेंट संबंधित कानून।

पेटेंट

अधिनियम 1970, पेटेंट नियम 1972 के साथ, 20 अप्रैल 1972 को भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 की जगह लागू हुआ। पेटेंट अधिनियम काफी हद तक न्यायमूर्ति एन. राजगोपाला अवंगर की अध्यक्षता वाली अध्यंगर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित था। सिफारिशों में से एक दवाओं, भोजन और रसायनों से संबंधित आविष्कारों के संबंध में केवल प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति थी। बाद में, भारत अपने पेटेंट कानून को मजबूत करने और आधुनिक दुनिया के साथ जुड़ने के उद्देश्य से कई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षरकर्ता बन गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) प्रणाली का सदस्य बनना था। गौरतलब है कि भारत 7 दिसंबर 1998 को पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि का भी हस्ताक्षरकर्ता बन गया और उसके बाद 17 दिसंबर 2001 को बुडापेस्ट संधि पर हस्ताक्षर किए।

इतिहास:

ट्रिप्स का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत इसके प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अपने पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व के तहत था। भारत को पाइपलाइन सुरक्षा देने के लिए आवश्यकताओं के पहले सेट को 1 जनवरी 1995 को पूरा करना था जब तक कि देश उत्पाद पेटेंट देना शुरू नहीं कर देता। 26 मार्च, 1999 को, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999 1 जनवरी, 1995 से

पूर्वव्यापी प्रभाव में लागू हुआ।

मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:

धारा 5(2) पेश की गई जो दवाओं, औषधियों और कृषि-रसायनों के क्षेत्र में पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रावधान करती है। इन आवेदनों को मेलबॉक्स या ब्लैक बॉक्स में लंबित रखा गया था। यह मेलबॉक्स 1 जनवरी 2005 को खोला जाना था। विशिष्ट विपणन अधिकार (ईएमआर) का प्रावधान अध्याय IV ए के माध्यम से लाया गया था। इस प्रकार, फार्मास्युटिकल और कृषि-रसायन निर्माताओं के लिए पाइपलाइन सुरक्षा प्रदान की गई थी जिनके उत्पाद के लिए आवेदन ब्लैक बॉक्स में पड़े थे। अधिनियम से धारा 39 हटा दी गई, जिससे भारतीय निवासी एक साथ भारत के बाहर आवेदन दाखिल करने में सक्षम हो गए। पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों से संबंधित भारतीय पेटेंट नियमों में अध्याय II (ए) शामिल किया गया था। संशोधन का दूसरा चरण पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा लाया गया जो 20 मई 2003 को लागू हुआ।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:

- i. पेटेंट की अवधि 14 से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई, जिसमें पेटेंट की तारीख पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तारीख थी। साथ ही दवा/खाद्य पेटेंट और अन्य पेटेंट की अवधि में अंतर भी हटा दिया गया।
- ii. “आविष्कार” की परिभाषा आविष्कारशील कदम की अवधारणा को पेश करके ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई थी, जिससे आविष्कार का दायरा बढ़ गया।
- iii. विलंबित परीक्षा प्रणाली शुरू की गई।

iv. आवेदन दाखिल करने की तारीख से 18 महीने के बाद प्रकाशन के प्रावधान का परिचय, जिससे भारत शेष विश्व के बराबर आ गया।

v. सूक्ष्मजीव पेटेंट योग्य हो गए, जबकि पारंपरिक ज्ञान से संबंधित आविष्कारों को “क्या आविष्कार नहीं हैं” की सूची में शामिल किया गया।

vi. ईपीसी और पीसीटी के अनुसार आविष्कार की एकता की अवधारणा।

vii. धारा 39 को फिर से लागू किया गया जिससे भारतीय निवासियों को पूर्व अनुमति के बिना या भारत में पहली बार दाखिल किए बिना विदेश में आवेदन करने पर रोक लगा दी गई।

viii. धारा 116 को सम्मिलित करके अपीलीय बोर्ड के प्रावधान लाए गए। नियंत्रक के निर्णय के खिलाफ सभी अपील अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपील योग्य होंगी। अपीलीय बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में होगा।

ix. धारा 117 में कृषि रसायन और फार्मास्युटिकल उद्योग के लाभ के लिए बोलर प्रावधान प्रदान किया गया।

पेटेंट अधिनियम, 1970 में तीसरा और अंतिम संशोधन पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के माध्यम से आया, जिसे बाद में 1 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 और पेटेंट (संशोधन) नियम, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जनवरी, 2005. तीसरे संशोधन के साथ भारत ने ट्रिप्स के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा किया।

इस संशोधन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं:

धारा 5 को हटाना, मेलबॉक्स खोलना और उत्पाद पेटेंट प्रदान करना। इस प्रकार इस संशोधन से



भारत में “उत्पाद पेटेंट व्यवस्था” की शुरुआत हुई। विशिष्ट विपणन अधिकार (ईएमआर) का उन्मूलन।

वर्तमान पद:

पेटेंट कानून के संबंध में वर्तमान भारतीय स्थिति पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जैसा कि पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और पेटेंट अधिनियम नियम, 2006 (इसके बाद इसे कहा जाएगा) द्वारा संशोधित किया गया है।

मुख्य पेटेंट कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके शाखा कार्यालय दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं। भारत में पेटेंट प्रणाली का संचालन पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत महानियंत्रक द्वारा किया जाता है। पेटेंट आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्यालय का अपना क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होता है और वह पेटेंट अधिनियम के सभी वर्गों से निपटने के लिए सशक्त होता है।

पेटेंट आवेदन दाखिल करने का क्षेत्राधिकार इस पर निर्भर करता है:

भारतीय आवेदक: निवास स्थान, आवेदक के व्यवसाय के स्थान या जहां आविष्कार वास्तव में उत्पन्न हुआ, के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
विदेशी आवेदक: भारत में सेवा के लिए पते द्वारा निर्धारित।

आविष्कार क्या हैं?

अधिनियम आविष्कार की परिभाषा प्रदान करता है, जो अब ट्रिप्स के प्रावधानों के अनुरूप है। किसी आविष्कार की पेटेंट योग्यता के मानदंड नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक प्रयोज्यता हैं। पेटेंट अधिनियम, 2005 की धारा 2(1)(जे) “आविष्कार” को एक नए उत्पाद या एक आविष्कारशील कदम से जुड़ी प्रक्रिया और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम के रूप में परिभाषित करती है।

अधिनियम के तहत “नए आविष्कार” को पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(एल) के तहत परिभाषित किया गया है।

नए आविष्कार” का अर्थ है कोई भी आविष्कार या तकनीक जिसका पूर्ण विनिर्देशन के साथ पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से पहले किसी भी दस्तावेज़ में प्रकाशन द्वारा प्रत्याशित नहीं किया गया है या देश या दुनिया में कहीं और उपयोग नहीं किया गया है, यानी, विषय वस्तु में शामिल नहीं है सार्वजनिक डोमेन या यह अत्याधुनिक का हिस्सा नहीं है।

इस प्रकार, नए आविष्कार की इस परिभाषा के अनुसार, अधिनियम पूर्ण नवीनता की बात करता है, अर्थात् आविष्कार का न तो दुनिया में कहीं भी उपयोग किया जाना चाहिए और न ही दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रकाशित किया जाना चाहिए। हालाँकि, प्रत्याशा और विरोध कार्यवाही के उद्देश्य से अधिनियम की बाद की धाराएँ सापेक्ष नवीनता से संबंधित हैं अर्थात् भारत में उपयोग नहीं की जाती हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रकाशित नहीं की जाती हैं। इसके अलावा, पूरा अधिनियम आविष्कार शब्द को संदर्भित करता है न कि नए आविष्कार को। इसलिए, सभी उद्देश्यों के लिए सापेक्ष नवीनता ही मानदंड है।

नवीनता नियम के अपवाद:

कुछ अपवाद हैं जहां नवीनता का नियम लागू नहीं होता है। ये मामले इस प्रकार हैं: आविष्कारक की सहमति के बिना प्रकाशित विषय वस्तु। आविष्कार को सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने या किसी लर्नेंड सोसाइटी के समक्ष पेपर पढ़ने के परिणामस्वरूप प्रकाशित किया गया था। ऐसे मामलों में पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए 12 महीने की छूट अवधि दी जाती है।

“आविष्कारशील कदम” को “अधिनियम” की धारा 2 (1) (जे) के तहत परिभाषित किया गया है। 2005 के संशोधन से पहले, आविष्कारी कदम का मतलब एक ऐसी विशेषता थी जो कला में कुशल व्यक्ति के लिए आविष्कार को स्पष्ट नहीं करती थी। 2005 के नये अधिनियम ने आविष्कारी कदम को अधिक सटीक ढंग से परिभाषित किया। “आविष्कारशील कदम का मतलब एक आविष्कार की एक विशेषता है

जिसमें मौजूदा ज्ञान की तुलना में तकनीकी प्रगति या आर्थिक महत्व या दोनों शामिल हैं और जो कला में कुशल व्यक्ति के लिए आविष्कार को स्पष्ट नहीं करता है।“ इस प्रकार, गैर-स्पष्टता मानदंड के अलावा दो अन्य शर्तें जोड़ी गई यानी इसमें गैर-स्पष्ट होने के अलावा मौजूदा ज्ञान की तुलना में तकनीकी उन्नति या आर्थिक महत्व होना या दोनों शामिल होना चाहिए। “तकनीकी प्रगति” और “आर्थिक महत्व” शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और ये स्पष्ट हैं। इसे इस धारणा पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि “आर्थिक महत्व” धारा 2 (1)(एसी) या अनुच्छेद 27 के फुटनोट 5 में “औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम” वाक्यांश का पर्याय है। वाक्यांश “तकनीकी प्रगति” का अर्थ नहीं माना जा सकता है या तो, किसी विशिष्ट परिभाषा या संदर्भ के अभाव में।

पेटेंट अधिनियम 1970 में सुरक्षा का दायरा बहुत सीमित था जिसमें आविष्कार के आवश्यक तत्व नए, उपयोगी और निर्माण के तरीके थे। भले ही पुराने अधिनियम में विनिर्माण को परिभाषित नहीं किया गया था, पेटेंट कार्यालय ने विनिर्माण की व्याख्या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में करने की प्रथा स्थापित की जिसके परिणामस्वरूप एक मूर्त उत्पाद बनता है। बर्साइटिस वायरस युक्त वैक्सीन के उत्पादन की प्रक्रिया पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले (डिमिनाको एजी बनाम पेटेंट नियंत्रक, 2002) ने इस प्रथा को बदल दिया और अब आविष्कार की परिभाषा की व्याख्या अनुभाग के तहत ‘औद्योगिक अनुप्रयोग’ शब्द को ध्यान में रखते हुए की जाती है। 2(1) (जे). अधिनियम किसी आविष्कार के संबंध में ‘औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम’ को किसी उद्योग में बनाए जाने या उपयोग करने में सक्षम के रूप में परिभाषित करता है।

एक आविष्कार औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है यदि यह संचयी रूप से तीन शर्तों को पूरा करता है:

- i. बनाया जा सकता है।
- ii. गतिविधि के कम से कम एक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।
- iii. आवश्यकतानुसार समान विशेषताओं के साथ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्या आविष्कार नहीं हैं?

अधिनियम की धारा 3, गैर पेटेंट योग्य आविष्कारों से संबंधित है। ऐसे आविष्कार जो तुच्छ हों या सुस्थापित प्राकृतिक नियमों के विपरीत हों।

उदाहरण के लिए: बिना किसी इनपुट के आउटपुट देने के कथित सतत गति से संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं हैं क्योंकि यह प्राकृतिक कानून के विपरीत है। पहले दो या दो से अधिक टुकड़ों में बनी वस्तुओं को केवल एक टुकड़े में बनाना तुच्छता है। केवल उपयोगिता पर्याप्त नहीं है (इंडियन वैक्यूम ब्रेक कंपनी लिमिटेड बनाम लॉर्ड (AUR 1962 CAK 152))। ऐसे आविष्कार जिनका प्राथमिक या इच्छित उपयोग या व्यावसायिक शोषण सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत हो

सकता है (जैसे कि किसी समाज में संस्कृति के स्वीकृत मानदंडों के खिलाफ कुछ), या जो मानव, पशु या पौधे के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनता है। उदाहरण के लिए टर्मिनेटर तकनीक जिसमें अंकुरण को रोकने या पुनः संयोजक पौधों को उगाने से रोकने के लिए बीज में जीन अनुक्रम डालना शामिल है जिससे तितलियां गायब हो जाती हैं। किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या किसी अमूर्त सिद्धांत का प्रतिपादन या प्रकृति में पाए जाने वाले किसी जीवित वस्तु या निर्जीव पदार्थ की खोज मात्र। हालाँकि जीवित चीज़ों या निर्जीव पदार्थों का अलगाव पेटेंट योग्य है क्योंकि इसमें मानवीय तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है।

किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज मात्र जिसके परिणामस्वरूप उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि नहीं होती, या किसी नई संपत्ति की खोज, या किसी ज्ञात पदार्थ का नया उपयोग, या ज्ञात प्रक्रिया, मशीन का मात्र उपयोग, या उपकरण जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई नया उत्पाद न निकले या कम से कम एक नया अभिकारक नियोजित न हो।

धारा 3 (डी) का स्पष्टीकरण: “नमक, एस्टर, ईथर, बहुरूप, मेटाबोलाइट्स, शुद्ध रूप, कण आकार, आइसोमर्स, आइसोमर्स के मिश्रण, कॉम्प्लेक्स, संयोजन और ज्ञात पदार्थ के अन्य डेरिवेटिव को एक ही पदार्थ माना जाएगा। जब तक कि वे प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न न हों।

धारा 3(डी) से यह देखा जा सकता है कि किसी ज्ञात पदार्थ का नया उपयोग स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में दूसरे चिकित्सा उपयोग के दावों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, ज्ञात पदार्थों के व्युत्पन्नों को एक ही पदार्थ माना जाता है जब तक कि वे “प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न न हों।”

धारा 3 (डी) के तहत “प्रभावकारिता” शब्द को अस्पष्ट रखा गया है, क्योंकि यह प्रावधान के तहत आवश्यक प्रभावकारिता के प्रकार को इंगित नहीं करता है। यह अस्पष्ट भी है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वाक्यांश “ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि” धारा 2 (1), (जे) के तहत वाक्यांश “तकनीकी प्रगति” के समान है। हालाँकि, धारा 3 (डी) में प्रदान किया गया स्पष्टीकरण डेरिवेटिव, कॉम्प्लेक्स, संयोजन, आइसोमर्स इत्यादि को पेटेंट देने से इंकार नहीं करता है, यदि इसके गुणों के परिणामस्वरूप इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि दिखाई जा सकती है। केवल मिश्रण से प्राप्त पदार्थ जैसे कि भौतिक मिश्रण अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं हैं। हालाँकि, दो या दो से अधिक ज्ञात सक्रिय अवयवों से युक्त संयोजन तैयारी वाली रचनाएँ पेटेंट योग्य हैं यदि “सिनर्जिज्म” या सुपर एडिटिव प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, उदाहरण के लिए फार्मास्युटिकल रचनाएँ या कोई अन्य रासायनिक रचनाएँ। ज्ञात उपकरणों की मात्र व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था या दोहराव, प्रत्येक ज्ञात तरीके से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।



कृषि या बागवानी के तरीके।

उदाहरण के लिए, किसी ज्ञात पौधे का नया रूप तैयार करने की एक विधि, भले ही इसमें उन परिस्थितियों में संशोधन शामिल हो, जिनके तहत प्राकृतिक घटनाएँ अपने अपरिहार्य पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगी, पेटेंट योग्य नहीं है। (ए.वी. फिलिप्स ग्लोइम्पेनफैब्रीकेन का एप्लिकेशन 71 आरएफसी 192)। मनुष्यों या जानवरों या पौधों के चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी, निदान, चिकित्सीय या अन्य उपचार के लिए प्रक्रियाएँ जो उन्हें बीमारी से मुक्त कर देंगी या उनके आर्थिक मूल्य में वृद्धि करेंगी। यूनाइटेड किंगडम में, कसाई से दो घंटे पहले एक बूढ़े जानवर को एंजाइम से उपचारित करने की एक विधि को पेटेंट कराने की अनुमति दी गई थी क्योंकि उपचार ने मांस को नरम बनाकर जानवर के आर्थिक मूल्य को बढ़ा दिया था (स्विफ्ट एप्लिकेशन आरपीसी 37, 1962)। ऐसी प्रक्रिया भारतीय पेटेंट प्रणाली के तहत पेटेंट योग्य नहीं होगी। ‘नैदानिक और चिकित्सीय’ शब्दों को मनुष्यों और जानवरों में रोगों के निदान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तदनुसार, किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए एंटीबॉडी की जांच करने की विधि अनुमेय है। सूक्ष्मजीवों के अलावा संपूर्ण पौधे और जानवर या उनका कोई भी हिस्सा, लेकिन इसमें बीज, किस्में और प्रजातियां और पौधों और जानवरों के उत्पादन या प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाएँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए क्लोन और नई किस्म के पौधे पेटेंट योग्य नहीं हैं। लेकिन अनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को तैयार करने की प्रक्रिया/विधि पेटेंट योग्य विषय वस्तु है। कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप में एक गणितीय पद्धति या एक व्यावसायिक पद्धति या एल्गोरिदम है। साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य या सिनेमैटोग्राफिक कार्यों और टेलीविजन प्रस्तुतियों सहित कोई अन्य सौंदर्य संबंधी रचनाएँ पेटेंट योग्य नहीं हैं क्योंकि वे कॉपीराइट, डिजाइन और मनोरंजन कानूनों के अंतर्गत आते हैं। मानसिक कार्य करने की योजना/नियम/विधि या खेल खेलने की विधि।

जानकारी की प्रस्तुति।

दुर्भाग्य से न तो अधिनियम और न ही नियम गणितीय पद्धति, या व्यावसायिक पद्धति या

ऐसी परिस्थितियों में, किसी को ईपीसी के अनुच्छेद 52(1), 52(2) और 52(3) के तहत निर्मित प्रथाओं पर भरोसा करना होगा, जहां धारा 3(के), 3 एम (के तहत भारतीय अधिनियम के अनुरूप समान प्रावधान हैं), और 3(एन) मौजूद है। तकनीकी प्रभाव उत्पन्न करने वाला प्रोग्राम या तकनीकी चरित्र वाला प्रोग्राम ईपीओ में स्वीकार्य है क्योंकि यह स्वयं प्रोग्राम नहीं है। तदनुसार, सॉफ्टवेयर से संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य हो सकते हैं यदि उनके साथ एक नया और गैर-स्पष्ट तकनीकी प्रभाव हो जो प्रौद्योगिकी की कला को जोड़ता है।

एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति।

हर्बल दवाओं के उपयोग जैसे पारंपरिक ज्ञान के दायरे में आने वाला एक आविष्कार। परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार धारा 4 के तहत पेटेंट योग्य नहीं हैं। ऐसे आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को भेजे जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम है और परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्णयों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। प्रभावी संशोधनों के साथ अब उत्पाद और प्रक्रिया दोनों से संबंधित आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। आविष्कार किसी मशीन, वस्तु या पदार्थ से संबंधित होना चाहिए जो औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो, या किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित हो। किसी वस्तु या निर्माण की प्रक्रिया में सुधार के लिए भी पेटेंट प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, दवा या औषधि के संबंध में अब उत्पाद और पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है।

प्रक्रियात्मक पहलू

पेटेंट आवेदन कौन दायर कर सकता है? किसी आविष्कार के पेटेंट के लिए आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति द्वारा अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है:

विदेशी फाइलिंग लाइसेंस:

भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, लिखित परमिट के अधिकार के अलावा, पेटेंट के अनुदान के लिए भारत के बाहर कोई भी आवेदन दायर नहीं कर सकता है जब तक कि:

उसी आविष्कार के लिए पेटेंट के लिए आवेदन

भारत में किया गया हो और भारत के बाहर आवेदन दाखिल करने से कम से कम 6 सप्ताह पहले आवेदन किया गया हो, और या तो भारत में आवेदन के संबंध में धारा 35(1) के तहत कोई गोपनीयता निर्देश नहीं दिया गया है या ऐसे सभी निर्देश रद्द कर दिए गए हैं। विदेशी फाइलिंग लाइसेंस के लिए अनुरोध आविष्कार और चित्र, यदि कोई हो, और निर्धारित शुल्क के विस्तृत विवरण के साथ निर्धारित फॉर्म पर दायर किया जा सकता है।

प्रकाशन:

प्रत्येक आवेदन आम तौर पर आवेदन दाखिल करने की तारीख या आवेदन की प्राथमिकता की तारीख, जो भी पहले हो, से 18 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद प्रकाशित किया जाता है। आवेदक एक निर्धारित प्रपत्र और शुल्क के माध्यम से अनुरोध के तहत सामान्य अवधि से पहले अपने आवेदन के प्रकाशन का अनुरोध कर सकता है। हालाँकि, प्रारंभिक प्रकाशन नियम लागू नहीं होता है यदि:

- अधिनियम की धारा 35 के तहत गोपनीयता निर्देश लगाए गए हैं।
- अधिनियम की धारा 9(1) के तहत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
- आवेदक ने 18 माह की उक्त निर्धारित अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व अपना आवेदन वापस ले लिया है।
- शीघ्र प्रकाशन से आवेदन की वास्तविक जांच में तेजी आ सकती है और शीघ्र अनुदान मिल सकता है। इसके अलावा, उन मामलों में अनंतिम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शीघ्र प्रकाशन महत्वपूर्ण है जहां आवेदक को उल्लंघन की आशंका है।

अनंतिम सुरक्षा:

पेटेंट के लिए आवेदन के प्रकाशन की तारीख से और ऐसे पेटेंट के संबंध में पेटेंट की मंजूरी की तारीख तक, आवेदक के पास विशेषाधिकार और अधिकार होंगे जैसे कि आविष्कार के लिए पेटेंट प्रकाशन की तारीख पर प्रदान किया गया हो। आवेदन पत्र। हालाँकि, जब तक पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता है, आवेदक उल्लंघन की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है। विज्ञापन की तिथि से क्षतिपूर्ति का दावा करने के उद्देश्य से यह प्रावधान आवेदक के लिए फायदेमंद है।

फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स से संबंधित धारा 5(2) के तहत पेटेंट के लिए आवेदन इस प्रणाली के अपवाद हैं और उन्हें पेटेंट दिए जाने की तारीख से सुरक्षा मिलेगी, न कि आविष्कार के प्रकाशन की तारीख से। इसके अलावा, जिन भारतीय निर्माताओं ने महत्वपूर्ण निवेश किया है और 1 जनवरी, 2005 से पहले धारा 5 (2) के तहत दायर आवेदन के संबंध में उत्पाद का उत्पादन और विपणन कर रहे थे, वे पेटेंट के अनुदान के बाद भी उत्पाद का निर्माण जारी रखेंगे। आवेदन (फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल्स) और निर्माता के खिलाफ कोई उल्लंघन कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। पेटेंट धारक निर्माता से उचित रॉयल्टी प्राप्त करने का हकदार होगा।

अनुदान से पहले और बाद के विरोध के आधार समान हैं:

- गलत तरीके से प्राप्त करना,
- पूर्व प्रकाशन,
- पूर्व दावा,
- पूर्व सार्वजनिक ज्ञान और उपयोग,
- स्पष्टता,
- कोई आविष्कार नहीं,
- अपर्याप्तता,

धारा 8 के तहत विदेशी फाइलिंग के संबंध में जानकारी दर्ज करने में विफलता :

- कन्वेशन आवेदन 12 महीने के भीतर नहीं किया गया,
- सोत और भौगोलिक का खुलासा न करना या गलत उल्लेख करना
- पूर्ण विवरण में जैविक सामग्री की उत्पत्ति,
- भारत या अन्यत्र किसी भी स्थानीय या स्वदेशी समुदाय के भीतर उपलब्ध मौखिक या अन्यथा ज्ञान (पारंपरिक ज्ञान) को ध्यान में रखते हुए पूर्ण विनिर्देशन का अनुमान लगाया गया था।

पूर्व-अनुदान विरोध प्रक्रिया:

अनुदान पूर्व अभ्यावेदन किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के भीतर या पेटेंट अनुदान से पहले, जो भी बाद में हो, दाखिल किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि नियंत्रक को प्रकाशन की तारीख से छह महीने के तुरंत बाद पेटेंट देने का अधिकार है। अनुदान-पूर्व विरोध कार्यवाही परीक्षा कार्यवाही के समानांतर की जा सकती है।

प्रतिद्वंद्वी को प्रतिनिधित्व के समर्थन में बयान और साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा और यदि वह चाहे तो सुनवाई का अनुरोध करना होगा।

हालाँकि, नियंत्रक द्वारा अभ्यावेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाता जब तक कि आवेदक द्वारा परीक्षा के लिए अनुरोध दायर नहीं किया जाता है। आवेदक से परीक्षा के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर,

नियंत्रक परीक्षा की कार्यवाही शुरू करता है और प्रतिद्वंद्वी द्वारा दायर बयान और साक्ष्य की प्रति के साथ आवेदक को एक नोटिस भी जारी करता है।

आवेदक नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में अपना बयान और साक्ष्य दाखिल कर सकता है। इसके बाद, नियंत्रक द्वारा सबमिशन और दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, पेटेंट या तो स्वीकृत किया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है।

स्वीकृति विनिर्देश में संशोधन के साथ या उसके पीलीय बोर्ड में अपील दायर की जा सकती है।

अनुदान पश्चात विरोध प्रक्रिया:

अनुदान के बाद विरोध की प्रक्रिया प्रतिद्वंद्वी (जो एक 'इच्छुक व्यक्ति' है) द्वारा अनुदान के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर नियंत्रक को पूर्ण लिखित बयान और साक्ष्य के साथ दायर विरोध की सूचना के साथ शुरू होती है। पेटेंटधारक को उत्तर विवरण और साक्ष्य दाखिल करना आवश्यक है। दो माह तक ऐसा न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यह समयावधि एक महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते विस्तार के लिए अनुरोध दो महीने की अवधि के भीतर दायर किया गया हो। विरोधियों द्वारा दायर किए गए उत्तर साक्ष्य को सख्ती से पेटेंटधारक के साक्ष्य तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। हालाँकि, आगे के साक्ष्य नियंत्रक की अनुमति से दाखिल किए जा सकते हैं। सभी दस्तावेज़ नियंत्रक द्वारा गठित विपक्षी बोर्ड को अनुशंसा हेतु सौंप दिये जाते हैं। नियंत्रक विपक्षी बोर्ड के सदस्यों के साथ सुनवाई के बाद निर्णय लेता है। आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर अपीलीय बोर्ड के समक्ष निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है।

पेटेंट की अवधि:

अधिनियम के तहत दिए गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि दाखिल करने की तारीख से बीस वर्ष है।

20 मई 2003 को लागू पेटेंट को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। पीसीटी के तहत भारत को नामित करते हुए दायर किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के मामले में पेटेंट की अवधि पीसीटी के तहत दी गई अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से बीस वर्ष है। पेटेंट को लागू रखने के लिए नवीनीकरण शुल्क का वार्षिक भुगतान करना आवश्यक है। समाप्ति की तारीख से 18 महीने के भीतर आवेदन करने पर पेटेंट की बहाली संभव है।

अपील प्रक्रिया:

धारा 117ए अपीलीय बोर्ड में अपील का प्रावधान करती है। धारा 117ए की उपधारा (1) यह स्पष्ट करती है कि धारा 117ए की उपधारा (2) के तहत उल्लिखित आदेशों के अलावा किसी भी आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। जबकि धारा 25(4) के तहत अनुदान के बाद के विरोध में आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान है, धारा 25(1) के तहत अपील का कोई प्रावधान नहीं है।



नियंत्रक, पेटेंट नियमों के नियम 55, उप-नियम (5) और (6) के तहत, जैसा कि वे वर्तमान में हैं, पेटेंट देने से इनकार कर सकते हैं या पूर्ण विनिर्देश में संशोधन की आवश्यकता कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विकास में, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) 2 अप्रैल, 2007 से लागू हो गया है। उल्लंघन के मुकदमों और जवाबी मुकदमों को छोड़कर उच्च न्यायालयों में लंबित पेटेंट मामलों से संबंधित सभी अपीलों को अपीलीय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। निरसन के लिए, अपीलीय बोर्ड में एक तकनीकी विशेषज्ञ सहित तीन सदस्यों की एक पीठ शामिल है।

पेटेंट अधिकार:

यह अधिनियम प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों से संबंधित आविष्कारों के लिए पेटेंट संरक्षण प्रदान करता है। उत्पाद से संबंधित पेटेंट के मामले में, अनुदान अनधिकृत व्यक्तियों को भारत में उत्पाद बनाने, उपयोग करने, बिक्री की पेशकश करने, बेचने या आयात करने से रोकने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। प्रक्रिया से संबंधित पेटेंट के मामले में, पेटेंटधारक को अनधिकृत व्यक्तियों को प्रक्रिया का उपयोग करने और उन उद्देश्यों के लिए भारत में प्रक्रिया से सीधे प्राप्त उत्पाद को बेचने, बेचने या आयात करने से रोकने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से उत्पादित उत्पाद भी सुरक्षित रहता है।

असाइनमेंट का पंजीकरण:

अधिनियम के तहत असाइनमेंट आदि का पंजीकरण अनिवार्य है, हालांकि असाइनमेंट के पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। हालांकि, पंजीकरण की तारीख लिखत के निष्पादन की तारीख से है। जब तक लाइसेंसधारी या समनुदेशिती को पेटेंट के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है, वे उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस समझौते को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म दाखिल करके उचित पेटेंट कार्यालय में पेटेंट अधिनियम की धारा 69 के तहत पंजीकृत किया जाना है। इसके पंजीकृत होने के बाद, लाइसेंसधारी का नाम पेटेंट के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

पेटेंट का वाणिज्यिक कार्य:

धारा 146(2) प्रत्येक पेटेंटधारी और लाइसेंसधारी को नियंत्रक को आवधिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है कि पेटेंट किए गए आविष्कार पर भारत में वाणिज्यिक अधार पर किस हद तक काम किया गया है। ऐसे विवरण नियम 131 के तहत निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसलिए, भारत में व्यावसायिक पैमाने पर पेटेंट किए गए आविष्कार के कामकाज के संबंध में एक बयान दर्ज करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। पेटेंटधारी या लाइसेंसधारी द्वारा विफलता या इनकार के लिए दंड प्रावधानों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में आविष्कार पर काम न करने पर धारा 84(सी) के तहत अनिवार्य लाइसेंस दिया जाता है। पेटेंट किए गए लेख/उत्पाद का आयात भारत में पेटेंट के कार्य करने के बराबर नहीं है। पेटेंट किए गए लेख के उत्पादन के लिए पेटेंट का कोई भी कार्य या जनता को बिक्री के लिए किसी लेख के उत्पादन में पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग व्यावसायिक पैमाने पर काम करने जैसा प्रतीत होगा। व्यावसायिक स्तर पर काम यह किया जाता है कि भारत में किसी विशेष वस्तु की मांग को उचित मूल्य पर पूरा किया जाए।

यदि पेटेंटधारक ने जापान में कंपनी 'ए' को पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने और उन्हें भारत में निर्यात करने और बेचने के लिए लाइसेंस दिया है, तो यह पेटेंट उत्पाद को भारत में काम करने के बराबर नहीं है। इसलिए कंपनी 'ए' को निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, पेटेंटधारक को जानकारी जमा करनी होगी। यदि पेटेंटधारक भारत में पेटेंट उत्पाद के निर्माण के लिए विधिवत लाइसेंस प्राप्त किसी भारतीय आधारित सहयोगी को भारत में पेटेंट उत्पाद के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है, तो भारतीय आधारित सहयोगी फॉर्म 27 दाखिल कर सकता है। यदि पेटेंटधारक यह उल्लेख किए बिना फॉर्म 27 जमा करता है कि लाइसेंस भारतीय आधारित सहयोगी को जारी

किया गया है, तो पेटेंटधारक पर पेटेंट अधिनियम की धारा 122(2) के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होता है, क्योंकि फॉर्म 27 में दी गई जानकारी जानबूझकर झूठी है। सह-मालिक संयुक्त रूप से या अलग-अलग फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस प्रकार या तो पेटेंटधारी या लाइसेंसधारी पेटेंट के वाणिज्यिक कामकाज की जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि भारत में कोई लाइसेंसधारी नहीं है, तो पेटेंटधारी को दंडित किया जाएगा यदि वह जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है। यदि भारत में कोई लाइसेंसधारी है और उसे पेटेंट कार्यालय को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पेटेंटधारक द्वारा अधिकृत किया गया है और यदि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो वह धारा 122(2) के तहत दंडित किया जा सकता है। कार्य विवरण में प्रस्तुत की गई संपूर्ण या आंशिक जानकारी नियंत्रक द्वारा प्रकाशित की जा सकती है। कार्य विवरण तब तक गोपनीय रहेगा जब तक कि वह नियंत्रक द्वारा प्रकाशित न हो जाए।

अनिवार्य लाइसेंस:

पेटेंट अधिनियम की धारा 84 से 94 पेटेंट उत्पादों की अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित है। कोई व्यक्ति पेटेंट मिलने के तीन साल बाद निम्नलिखित आधारों पर अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है:


- जनता की उचित आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, या
- पेटेंटयुक्त आविष्कार उचित किफायती मूल्य पर उपलब्ध नहीं है
- पेटेंट किए गए आविष्कार पर भारत में काम नहीं किया जाता है।

सार्वजनिक हित से संबंधित असाधारण परिस्थितियों जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, अत्यधिक तात्कालिकता जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कमी, भूकंप आदि और सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना पर अनिवार्य लाइसेंस भी दिया जा सकता है।

नियंत्रक अन्य मामलों की तरह पेटेंट के संबंध में बिना किसी विवार के ऐसे नियमों और शर्तों पर लाइसेंस अधिसूचित और प्रदान करेगा कि वस्तु जनता के लिए सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हो। अनिवार्य लाइसेंस प्रावधानों का उद्देश्य पेटेंट लेखों की मांग को केवल विदेश से आयात करके पूरा करने की प्रथा को हतोत्साहित करना है।

- प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण,
- मौजूदा व्यापार और उद्योग में विकास,
- नये व्यापार एवं उद्योग की स्थापना न होना,
- स्थानीय स्तर पर पेटेंट पर काम करने के लिए लाइसेंस देने से इनकार,
- लाइसेंस पर अनुचित शर्तें लगाना, जिससे स्वैच्छिक लाइसेंसिंग को हतोत्साहित करना और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाना,
- पेटेंट किए गए लेखों की बिक्री या पट्टे से पेटेंट समाप्त होने के बाद भी पेटेंट एकाधिकार अधिकारों का विस्तार होता है।

गैर-कार्यशील पेटेंट को रद्द करने को लगभग सभी देशों में अपनाया गया है।



अनिवार्य लाइसेंस देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, नियंत्रक आविष्कार की प्रकृति को ध्यान में रखेगा; पेटेंट की सीलिंग के बाद से जो समय बीत चुका है; आविष्कार का पूर्ण उपयोग करने के लिए पेटेंटधारी या किसी लाइसेंसधारी द्वारा पहले से ही किए गए उपाय; सार्वजनिक लाभ के लिए आविष्कार पर काम करने की अवेदक की क्षमता; अवेदक की पूँजी प्रदान करने और आविष्कार पर काम करने में जोखिम उठाने की क्षमता; क्या अवेदक ने उचित नियमों और शर्तों पर पेटेंटधारी से लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास किया है और ऐसे प्रयास उचित अवधि (6 महीने) के भीतर सफल नहीं हुए हैं, जैसा नियंत्रक उचित समझे।

जहां नियंत्रक संतुष्ट है कि प्रथम दृश्या मामला बनाया गया है, नियंत्रक आवेदक को पेटेंटधारक और पेटेंट के रजिस्टर में उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति को आवेदन की प्रतियां देने का निर्देश देगा और पार्टियों को सुनने के बाद अपना निर्णय दे सकता है। अपील अपीलीय बोर्ड में की जाती है। नियंत्रक अनिवार्य लाइसेंस को समाप्त कर सकता है जब अनुदान को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ अब मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, रॉयल्टी निर्धारित करने में नियंत्रक आविष्कार की प्रकृति को ध्यान में रखेगा; आविष्कार को बनाने और विकसित करने में किया गया व्यय; पेटेंट प्राप्त करने और उसके रखरखाव में व्यय; पेटेंट किए गए आविष्कार पर काम किया जाता है और लाइसेंसधारी को उचित लाभ मिलता है; पेटेंट लेख जनता के लिए उचित कियायाती मूल्य पर उपलब्ध है; दिया गया लाइसेंस गैर-विशिष्ट है; लाइसेंसधारी का अधिकार गैर-हस्तान्तरणीय है; कि लाइसेंस पेटेंट की अवधि की शेष अवधि या छोटी अवधि के लिए है;



बोलर प्रावधान:

पेटेंट अधिनियम की धारा 107 ए (ए) में प्रावधान है कि केवल विकास से संबंधित उचित उपयोग के लिए और विनियामक अनुमोदन के लिए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पेटेंट किए गए आविष्कार को बनाने, निर्माण, उपयोग, बिक्री या आयात करने का कोई भी कार्य उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आएगा। यह प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए सहायक है जो पेटेंट की शर्तों की समाप्ति के बाद पेटेंट का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि वे पेटेंट की अवधि समाप्त होने से पहले विपणन अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं और पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत निर्माण कर सकते हैं।



समानांतर आयात

धारा 107 ए (बी) पेटेंट उत्पादों के समानांतर आयात का प्रावधान करती है। प्रावधान घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पेटेंट उत्पादों का आयात, उस व्यक्ति से जो उत्पाद का उत्पादन करने और बेचने या वितरित करने के लिए कानून के तहत विधिवत अधिकृत है, को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा “पेटेंटधारी द्वारा विधिवत अधिकृत” के स्थान पर “कानून के तहत विधिवत अधिकृत” वाक्यांश डाला गया था। प्रभावी रूप से, यह प्रावधान माल का निर्यात करने वाले देश के लागू स्थानीय कानूनों को संदर्भित करता है और उन पर निर्भर करता है। भारत को यह प्रावधान ऐसे देश से निर्यात की अनुमति देता है जहां भारत में पेटेंट कराए गए लेख की कोई सुरक्षा नहीं है।

प्रतिस्पर्धा के अधिनियम के माध्यम से मूल्य नियंत्रण में मदद करने के लिए समानांतर आयात प्रावधान को एक तंत्र के रूप में पेश किया गया है।

इस प्रावधान में अधिकार की समाप्ति का सिद्धांत भी लागू है।

सीमा पार लाइसेंसिंग:

किसी भारतीय निर्माता द्वारा अपर्याप्त या कोई विनिर्माण क्षमता वाले किसी भी देश में पेटेंट किए गए फार्मास्युटिकल उत्पादों के निर्माण और निर्यात के लिए अनिवार्य लाइसेंस देना या तो भारतीय निर्माता को अनिवार्य लाइसेंस देने वाले आयातक देश के माध्यम से या भारत से पेटेंट किए गए फार्मास्युटिकल उत्पादों के आयात की अनुमति के माध्यम से संभव है, अधिसूचना द्वारा। यह प्रावधान ट्रिप्स समझौते पर दोहा घोषणा के पैरा 6 पर आधारित है।

निष्कर्ष:

भारत ने हमेशा उद्योग और वाणिज्य के विकास के लिए एक मजबूत पेटेंट प्रणाली के महत्व को स्वीकार किया है, जो भारत को आधुनिक दुनिया के बराबर लाने के लिए किए गए संशोधनों से स्पष्ट है। भारत में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था की घोषणा के साथ, अधिकांश देश अब व्यापार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। पेटेंट फाइलिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों के अन्वेषक और अन्वेषक अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करना।



सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार किया, बोला- संसद का काम है कानून बनाना।

उज्ज्वल भारद्वाज,
कॉलम्निस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी (Same sex marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि

वो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है। अदालत कानून नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार संविधान में कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए समलैंगिक कपल इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की बहुमत से इस मसले पर अपना फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बैच ने याचिकाओं पर 10 दिन सुनवाई की थी। इस संवैधानिक बैच में जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिंहा भी शामिल थे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल ने समलैंगिक कपल के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन जस्टिस एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिंहा ने विरोध में फैसला दिया। यानी बहुमत समलैंगिक लोगों की दलीलों के खिलाफ रहा। हालांकि इस बात पर सभी जज सहमत थे कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो शब्द नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये काम विधायिका का है। चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक लोगों को शादी का अधिकार मिलना चाहिए, जो बाकी हेट्रोसेक्शुअल लोगों को मिलता है। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक, अगर उन्हें ये अधिकार नहीं मिलता तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन हैं। हालांकि कोर्ट ने कानून बनाने का फैसला सरकार के हवाले कर दिया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्वायर समुदाय के लोगों को एक साथ रहने और सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभों को देने में भेदभाव नहीं करेंगे। CJI ने सरकार को कमिटी की याद दिलाते हुए कहा, “सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि एक कमिटी बनाई जाएगी। कमिटी को क्वायर कपल के अधिकारों को लेकर समुदाय से सुझाव लेने चाहिए। इसमें क्वायर कपल के राशन कार्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट, पेंशन, ग्रैचुइटी आदि अधिकारों को विचार करना चाहिए।” दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि क्वायर समुदाय से जुड़ी समस्याओं पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की जाएगी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब कहा था कि सेम सेक्स कपल को सामाजिक लाभ देने को लेकर कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, उस पर सरकार सकारात्मक सोच रखती है।

फैसले में CJI चंद्रचूड़ की बड़ी बातें

इस फैसले के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने सरकार की उस तर्क को खारिज किया कि समलैंगिकता सिर्फ एक शहरी अवधारणा है। उन्होंने कहा कि हमारे साहित्यमें इसका पुराना इतिहास रहा है। इसे सिर्फ एलीट शहरी लोगों के साथ जोड़ना भी गलत होगा। शहर में बहुत लोग रहते हैं जो गरीब हैं।

- समलैंगिकता शहरी या एलीट अवधारणा नहीं है।
- शादी का कॉन्सेप्ट कोई यूनिवर्सल नहीं है। (माने कि एक तय लोगों के बीच या तरीके से ही शादी हो।)
- शादी नियमों के कारण एक कानूनी संस्था बन गई है।
- शादी को ऐसी संस्था नहीं बता सकते कि इसमें बदलाव नहीं हो सके।
- समलैंगिक लोगों को साथी चुनने की आजादी है और सरकार को इन्हें सभी तरह के अधिकार देने चाहिए।
- -सुप्रीम कोर्ट अपनी संस्थागत सीमाओं के कारण स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म नहीं कर सकता।
- क्वायर लोगों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता संविधान के तहत दी गई है।
- सेक्शुअल ओरिएंटेशन के आधार पर तय नहीं हो सकता है कि वे एक साथ रहे या न रहें।
- क्वायर कपल और अविवाहित कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार है। CARA (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) के नियम असंवैधानिक हैं। (यहां ये बताना जरूरी है कि ये सिर्फ सीजेआई की टिप्पणी हैं।)
- ऐसा कोई सबूत या डेटा नहीं है कि सिर्फ हेट्रोसेक्शुअल कपल ही बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं।
- मौजूदा कानूनों के तहत ट्रांसजेडर व्यक्ति को शादी का अधिकार है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर एक ट्रांसजेडर व्यक्ति हेट्रोसेक्शुअल व्यक्ति से शादी करता है ऐसी शादी को एक व्यक्ति को पुरुष और दूसरे को महिला मानकर मान्यता दी जाएगी। ट्रांसजेडर पुरुष को एक महिला के साथ शादी का अधिकार है, उसी

तरह ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष के साथ शादी का अधिकार है। ट्रांसजेंडर पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला भी शादी कर सकते हैं और अगर इसकी अनुमति नहीं दी गई तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट का उल्लंघन होगा। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वे CJI के फैसले से सहमत हैं। उन्होंने फैसला दिया कि समलैंगिक शादी को मान्यता देना शादी की समानता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने जैसा होगा। जस्टिस कौल के मुताबिक, क्वायर समुदाय को भारत के संविधान के तहत संरक्षण का अधिकार है। हेट्रोसेक्शुअल और सेम सेक्स मैरिज को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखना चाहिए। ये ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को सुधारने का एक मौका है। सरकार को ऐसी शादियों को मान्यता देने की जरूरत है। स्टिस कौल ने कहा कि इस भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है। कानूनी फ्रेमवर्क के जरिये ही क्वायर समुदाय के साथ भेदभाव को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि समलैंगिक जोड़ों को बुनियादी जरूरतों के लिए किसी भेदभाव का सामना न करना पड़े।

बच्चा गोद लेने पर पर भी जज बंट गए। 3-2 के बहुमत में कहा गया कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल इसके पक्ष में थे। लेकिन जस्टिस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिंहा सहमत नजर नहीं आए। इस मामले में मुख्य याचिकार्ता थे सुप्रियो और अभय डांग। इसके अलावा 20 और याचिकाएं डाली गई थीं। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी होगी तो संविधान के 158 प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और 28 अन्य कानूनों में बदलाव करना होगा।

सरकार ने क्या ‘तर्क’ दिया था?

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 56 पन्नों का हलफनामा भी दाखिल किया था। केंद्र का कहना था कि समलैंगिक शादी भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर विवाह के विचार और अवधारणा में यहीं परिभाषा शामिल है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में समाज, 'कानूनी अडचनों' और धार्मिक रीति-रिवाजों का हवाला दिया। केंद्र ने कहा कि कानून में पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। ये भी कहा गया कि किसी भी पर्सनल लॉ या किसी संहिताबद्ध कानून में एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह को न तो मान्यता दी गई है और न ही स्वीकृति। हमारे देश में शादी को एक संस्कार माना जाता है। यहां शादी सदियों पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है। इससे पहले सितंबर 2018 में धारा-377 को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस फैसले से पहले भारत में भी समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था।

National Film Award

69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड वितरित, आलिया भट्ट बनीं बेस्ट एक्ट्रेस तो अल्लू अर्जुन बने बेस्ट एक्टर।

लक्ष्य बवेजा
कॉलमनिस्ट्

National Film Awards 2023: राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने आज विभिन्न श्रेणियों में बेस्ट कलाकारों और तकनीशियों को 69 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दैरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस साल 24 अगस्त को 69 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी।

किन्हें दिए जाते हैं ये पुरस्कार ?

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष फिल्म, साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस इवेंट में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर आज दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं अल्लू अर्जुन, एसएस राजामौली और एम एम किरावनी सोमवार को दिल्ली पहुंचे।

• सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार

आर माधवन द्वारा निर्देशित 'रॉकेटी: द नांबी इफेक्ट' को साल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दुना गया है।

• सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार

वहीं अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा: द राइज' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आलिया भट्ट और कृति सेनन 'गंगूबाई काठियावडी' और 'मिमी' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।



• बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का अवॉर्ड वहीं पल्लवी जोशी को 'कश्मीर फाइल्स' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड और पंकज त्रिपाठी को 'मिमी' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला।

• 'द कश्मीर फाइल्स' को नरगिस दत्त पुरस्कार

आरआरआर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला और विवेक अग्रिहोत्री द्वारा निर्देशित 'द कश्मीर फाइल्स' को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार मिला।

• सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार फिल्म 'एकदा काय जाला'

सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार फिल्म 'एकदा काय जाला' के लिए घोषित किया गया। निखिल महाजन ने 'गोदावरी' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता।

• श्रेया घोषाल को भी मिला सम्मान

वहीं सृष्टि लखेरा द्वारा निर्देशित 'एक था गांव' को साल की सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है। श्रेया घोषाल को फिल्म 'इराविन निझ़ल' के गाने 'मायावा चयावा' के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला और काला

भैरव को फिल्म 'आरआरआर' के गाने 'कोमुराम भीमुडो' के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला।

प्रेम रक्षित को 'आरआरआर' के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवॉर्ड मिलेगा। देवी श्री प्रसाद और एम.एम. कीरावनी को 'पुष्पा द राइज' और 'आरआरआर' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। शूजीत सरकार की जीवनी पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा 'सरदार उथम सिंह' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। इसने सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पुरस्कार भी जीतेवहीं भाविन रबारी को गुजराती फिल्म 'छेलो शो' के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिलेगा। बकुल मटियानी को उनकी कृति स्माइल प्लीज के लिए गैर-फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला।



69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की पूरी लिस्ट

- बेस्ट फीचर फिल्म - रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट (आर माधवन)
- बेस्ट हिंदी फिल्म- सरदार उथम (विक्की कौशल)
- बेस्ट एक्ट्रेस - आलिया भट्ट (गंगबाई काठियावाड़ी) और कृति सेनन (मिमी)
- बेस्ट एक्टर - अल्लू अर्जुन (पुष्पा)
- बेस्ट एडिटर- संजय लीला भंसाली (गंगबाई काठियावाड़ी)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- पंकज त्रिपाठी (मिमी)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- पल्लवी जोशी (द कश्मीर फाइल्स)
- बेस्ट स्यूजिक डायरेक्टर- देवी श्री प्रसाद (पुष्पा)
- बेस्ट एक्शन डायरेक्शन- आरआरआर बेस्ट कोरियोग्राफी-आरआरआर बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स- आरआरआरआर
- बेस्ट गुजराती फिल्म- छेलो शो
- बेस्ट मिशिंग फिल्म- बूम्बा राइड
- बेस्ट असमी फिल्म- अनुर
- बेस्ट बंगाली फिल्म- कालोखो
- बेस्ट कन्नड़ फिल्म- 777 चार्ली
- बेस्ट मैथिली फिल्म- समांतर
- बेस्ट मराठी फिल्म- एकदा के जाला
- बेस्ट मलयालम फिल्म- होम
- बेस्ट नॉन फीचर फिल्म- एक था गांव (गढ़वाली और हिंदी)
- बेस्ट डायरेक्टर- बकुल मटियानी (स्माइल प्लीज)
- बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वैल्यूज- चंद सांसें (हिंदी)
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफर- बिट्टू रावत (पतल टी)
- बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म- लुकिंग फॉर चालान (अंग्रेजी)
- बेस्ट एजुकेशनल फिल्म- सिरपिगलिन सिपांगल (तमिल)
- बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू- मिथु दी (अंग्रेजी), वन टू श्री (मराठी, हिंदी)
- बेस्ट एनवायरनमेंटल फिल्म - मुन्नम (मलयालम)
- नरगिस दत्त अवॉर्ड 2023- द कश्मीर फाइल्स (विवेक अग्निहोत्री)

75 days hard challenge



क्या है 75 डेज हार्ड चैलेंज? फिटनेस इंफ्लूएंसर अंकित बैयनपुरिया से पीएम मोदी ने कि मुलाकात।

प्रखर चौहान,
फिटनेस विशेषज्ञ

गाँधी जयंती से एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान मनाया। इसको लेकर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह सोशल मीडिया फिटनेस इंफ्लूएंसर अंकित बैयनपुरिया के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो में पीएम अंकित के साथ झाड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात को लेकर अंकित बैयनपुरिया ने कहा, "मैंने PMO ऑफिस में पीएम मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट डाली थी, मेरी उनसे मिलने की दिली तमन्ना थी। मुझे उनकी तरफ से मिलने के लिए कुछ दिन पहले कॉल आया था।" उन्होंने दावा किया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी की जीत होगी और वह ही सत्ता में वापस आएंगे। मेरे लिए एक ही चेहरा हैं मोदी। राहुल गांधी या कोई और उनका विकल्प नहीं हो सकता।

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे 75 डेज चैलेंज के बारे में पूछा था। यह एक मेंटल चैलेंज है। इसमें 5 रुल होते हैं।

- 1) दिन में चार लीटर पानी पीना
- 2) दो वर्कआउट 45 मिनट के
- 3) डाइट फॉलो करना जिसमें चीनी या कोई नशे की चीज न हो।
- 4) एक किताब पढ़नी होती है।
- 5) एक सेल्फी लेनी है, प्रोसेस नोट करने के लिए।

पीएम मोदी ने की सफाई

उन्होंने कहा कि आज के दौर में हेल्थ बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिस्प्लिन भी बहुत जरूरी होता है। पीएम मोदी नींद कम लेते हैं, लेकिन उनके अपने नियम हैं, जिससे वह ठीक से काम कर पाते हैं। अंकित ने कहा, "पीएम मेरे साथ 40-45 मिनट तक सफाई करते रहे। इस दौरान ना मैं थका ना उन्हें थकावट हुई। हम आराम से काम कर रहे थे। मैं पहले रेस्लिंग कर रहा था, लेकिन चोट लगने के बाद मैंने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया।

पहलवानों के प्रदर्शन पर क्या बोले अंकित?

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं। घर वाले भी बहुत खुश हैं, लेकिन उन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर अंकित ने कहा

कि पहलवानों ने बीजेपी पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति पर उंगली उठाई थी। वैसे इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।

कैसे करें बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत ?

अंकित ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए पहले रनिंग करनी चाहिए। 75 दिन में बॉडी नहीं बनती, लेकिन नियम बनता है।

कब से कर रहे हैं पहलवानी ?

अंकित ने बताया, 'मैं पिछले 13 सालों से रेसलिंग से जुड़ा हूं। मेरे पिता जी का शौक था कि मेरा छोरा पहलवान बने। सोनीपत में लोग कहते थे यूट्यूब पर वीडियो डालना कोई काम थोड़ी है। मैं लोगों के नकारात्मक कर्मेंट नहीं देखता था। गीता का उसूल है ' कर्म करो फल की चिंता ना करो' जो परीक्षा के बक्त दबाव महसूस करते हैं। मैं उनकी मेंटल फिटनेस पर काम करूँगा। मैं मेंटल फिटनेस के लिए ग्रंथ पढ़ता हूं।'



Israel Hamas War



सत्यम पांडे
कार्यकारी संपादक

Israel Hamas War इजरायल फलस्तीन संघर्ष में ये ताजा अध्याय है। 19 वीं शताब्दी के अंतिम दौर में

फलस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन शुरू हुआ। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा क्योंकि यहूदियों का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। हमास ने इजरायल पर हजारों रॉकेट से हमला किया है और उसके लड़ाकों ने इजरायल में घुस कर मार काट की है। इजरायल ने इसके जवाब में हमास में युद्ध का एलान किया है। इजरायल ने चेताया कि उसपर हमला करने वालों को ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। कुछ विश्लेषकों ने चेताया है कि ये तीसरे इंतिफादा की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले फिलिस्तीन के युवाओं के बीच दो इंतिफादा काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। इंतिफादा का मतलब बगावत या विद्रोह से है। फिलिस्तीन इसे इजरायल के अवैध के कब्जे के खिलाफ बगावत के तौर पर पेश करते हैं।

ऐतिहासिक संघर्ष

इजरायल फलस्तीन संघर्ष में ये ताजा अध्याय है। 19 वीं शताब्दी के अंतिम दौर में फलस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन का उभार हुआ। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा क्योंकि यहूदियों का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। फलस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद ही अरबों और यहूदियों में जंग शुरू हो गई। पहला अरब इजरायल युद्ध 1949 में इजरायल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 75000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए और क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया।

में इजरायल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 7,50,00 फिलिस्तीन विस्थापित हुए और क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया। यहूदी इजरायल, अरब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। हालांकि इससे संघर्ष खत्म नहीं हुआ और आज तक जारी है।

इजरायल का जन्म

1948 में, संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के समर्थन से इजरायल का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1947 में पेश की गई विभाजन योजना के तहत फिलिस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके को यहूदी और अरब राज्य में बांटने की बात तय हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद ही अरबों और यहूदियों में जंग शुरू हो गई। पहला अरब इजरायल युद्ध 1949 में इजरायल की जीत के साथ समाप्त हुआ। 75000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए और क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया।

75 साल में क्या बदला

75 वर्षों में इजरायल ने अरब देशों के साथ कई युद्ध लड़े और फलस्तीन के आतंकवाद का सामना भी किया। इस बीच इजरायल ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से तेजी से आधुनिकीकरण करके खुद को मजबूत बनाया और फिलिस्तीन पर कब्जे का विस्तार 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्लान के तहत तय की गई सीमाओं से परे भी किया।

तीसरे इंतिफादा का आगाज

कुछ विश्लेषकों ने ताजा संघर्ष को तीसरे इंतिफादा की शुरुआत बताया है। इंतिफादा अरबी शब्द है। अरबी में इसका मतलब है उथल पुथल या छुटकारा पाना। वैसे इंतिफादा को बगावत या विद्रोह से जोड़ कर देखा जाता है। पहला इंतिफादा 1987 से 1993 तक चला और दूसरा इंतिफादा 2000-2005 तक चला। फिलिस्तीन के युवाओं में ये विद्रोह काफी लोकप्रिय हुए।

क्या है हमास और क्यों हुआ इसका गठन हमास सबसे बड़ा फलस्तीन आतंकी इस्लामी समूह और क्षेत्र के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। मौजूदा समय में ये गाजा पट्टी में 20 लाख से अधिक फिलिस्तीन आबादी पर शासन कर रहा है। हमास का गठन 1980 के आखिरी दौर में पहले फिलिस्तीन इंतिफादा की शुरुआत के बाद हुआ था। पहला इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे के खिलाफ शुरू हुआ था। इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिश्र और जापान ने हमास को आतंकी संगठन के तौर पर नामित किया है।

इजरायल-फिलिस्तीन के बीच क्यों है तनाव
प्रथम विश्व युद्ध के बाद मध्य पूर्व में आटोम साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहां अधिकतर यहूदी और अरब समुदाय के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा। इसके बाद ब्रिटेन ने यहां यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में अलग जमीन बनाने की बात की। यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। वहीं अरब समुदाय भी इस पर दावा करता है। ऐसे में तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को दो हिस्सों में बांटने के फैसले पर मुहर लगाई। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब समुदाय का अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजरायल राष्ट्र के गठन का एलान किया। इसके तुरंत बाद पहला अरब इजरायल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये पूरा क्षेत्र तीन हिस्सों में बंट गया। इजरायल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। करीब 25 मील और 6 मील चौड़ी गाजा पट्टी 22 लाख आबादी के रहने की जगह है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे अधिक घनत्व वाला इलाका है।

भारत का 'दोस्त' मालदीव आखिर क्यों करने लगा 'विश्वासघात'?

विवेक बूरा
कॉलमनिस्ट

मा

लदीव के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति
मोहम्मद मुइज्जू का भारत को
लेकर जिस तरह का रुख रहा है।

उसने सभी को चिंता में डाल दिया है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने हाल ही में कहा कि भारतीय सेना को उनके देश से जाना होगा। चुनाव के बाद हुए जीत के जश्न में आयोजित एक कार्यक्रम में मुइज्जू ने कहा कि मैं नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेशी सेना को अपने देश में रहने देने के पक्ष में नहीं हूं। वहीं, चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू के बयान पर भारत की तरफ से जवाब भी आया, मगर ये जवाब कई लिहाज से सकारात्मक रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव की नई सरकार के साथ भारत हर मुद्दे पर बात करने के लिए उत्साहित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बांगची से जब मुइज्जू के भारतीय सेना के मालदीव छोड़ने वाले बयान को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। इसमें आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत-मालदीव के रिश्तों के बिंगड़ने की शुरुआत कैसे हुई।

कैसे बिंगड़ने लगे भारत-मालदीव के संबंध?

पाकिस्तान और चीन को छोड़ दें तो भारत के अपने सभी पड़ोसी मुलकों से संबंध अच्छे रहे हैं। मालदीव भी उन देशों में शामिल रहा है, जिसके साथ भारतीय संबंधों का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि, 2018 के वक्त दोनों देशों के बीच कड़वाहटों की शुरुआत हुई। फरवरी 2018 में मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्षी




नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। दरअसल, अब्दुल्ला यामीन ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद समेत सभी विपक्षी नेताओं को कैद करवा दिया था। मोहम्मद नाशीद को भारत समर्थक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यामीन को तुरंत सभी नेताओं को रिहा करना होगा। वहीं, अब्दुल्ला यामीन ने साफ कर दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानने वाले हैं। उल्टा उन्होंने मालदीव में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। 45 दिनों तक चले इस आपातकाल के विरोध में भारत खड़ा रहा।



वहीं, भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव की मदद करता रहा है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2018 में ही जब पानी का संकट गहराया तो भारत ने मालदीव तक जल पहुंचाया। यहीं वजह थी कि मोहम्मद नाशीद ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत अपनी विदेश नीति के चलते अपने सैनिकों को तो नहीं भेज पाया, मगर उसने कड़े शब्दों में यामीन की आलोचना की और इमरजेंसी खत्म करने की मांग की।

यहीं से दोनों देशों के रिश्ते बिंगड़ने की शुरुआत होने लगी। भारत के लिए चिंता की बात ये रही है कि मोहम्मद मुइज्जू चीन समर्थक नेता हैं। चीन को मालदीव ने एक द्वीप भी लीज पर दिया हुआ है। भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहां होती है, तो उसके लिए खतरे की बात है। ऊपर से अगर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी मालदीव से खत्म हो जाती है, तो दोहरी चिंता की बात होगी। ऐसा नहीं था कि मालदीव में बदल रहे घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान था। इसकी वजह से चीन भी परेशानी में था। उधर यामीन ने अपने दूतों को चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब भेजा। हैरानी वाली बात ये है कि दूत के पहुंचने के तुरंत बाद चीन का बयान आया कि मालदीव में किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि, उसने कुछ समय बाद खुद ही मालदीव की ओर अपने जहाज भेजने शुरू कर दिए। भारत ने भी इसकी पुष्टि की।



चाहे 'द लालनटॉप' हो या 'द वायर', उन्हें कभी भी फंड की चिंता नहीं करनी पड़ती। लोकतंत्र को बचाने के नाम पर उन्हें विभिन्न स्रोतों से पैसा मिलता है। उनसे लड़ने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है क्योंकि न तो हम किसी से चंदा लेते हैं और न ही कोई पेड न्यूज छापते हैं। इसलिए हम केवल अपने पाठकों पर निर्भर हैं। कृपया अपना योगदान अवश्य दें।

 www.lokstambh.com

 @TLSNews01

   @theLokStambh

CONTRIBUTE THROUGH
GIVEN QR CODE

